अध्याय–1
विद्युत विनियमामक आयोग की संरचना

1.1 वैधानिक प्रावधान

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का गठन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन दिसम्बर, 2000 में किया गया तथा आयोग द्वारा 6 जनवरी, 2001 को अपना कार्य आरम्भ किया गया। उस समय देश में विद्युत उद्योग तीन अधिनियमों नामतः भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 ; विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 तथा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1948 के अधीन कार्य करता था। 1910 के अधिनियम के अन्तर्गत भारतवर्ष के विद्युत आपूर्ति उद्योग हेतु आधारभूत विधिक ढाँचा स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य निजी लाइसैंसधारियों के माध्यम से विद्युत उद्योग का विकास करना था। इसके द्वारा विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अधीन तारों तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए स्थापित विधित ढ़ांचा तथा राज्य विद्युत बोर्डों की स्थापना अधिदेशित किया जाना था। यह महसूस किया गया कि विद्युतीकरण जो कि अभी तक शहरों तक ही सीमित था को अधिक गति प्रदान की जाए और राज्यों को यह दायित्व सौंपा जाए। तथापि कुछ समय के पश्चात, शुल्क निर्धारण, एक व्यवसायिक तथा स्वतन्त्र रूप में न किए जाने की स्थिति में राज्य विद्युत बोर्डों की निष्पादन क्षमता में विकृति आ गई क्योंकि वास्तव में शुल्क निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था। इस समस्या के निराकरण तथा शुल्क निर्धारण में राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बचने के उद्देश्य से विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई तथा इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग स्थापित करने के प्रावधान किए गये। विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से कई राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिनियम बनाए गए। राज्य सुधार अधिनियमों के अधीन उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कनार्टक, राजस्थान तथा उतर प्रदेश जैसे राज्य द्वारा राज्यों विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना तथा अपनी विभिन्न स्थानांतरण स्कीमों के माध्यम से राज्य विद्युत बोर्डों को एक पृथक उत्पादन, संचारण एवं वितरण कम्पनी के रूप में स्थापित किए जाने की दशा में पहले ही कई सुधार अमल में लाए गए।

विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण तथा विद्युत उपयोग एवं सामान्यतः विद्युत उद्योग के विकास हेतु इसके अनुरूप उपाय करने, प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने, उपभोक्ता हितो की सुरक्षा, सभी क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति प्रदान करने, विद्युत शुल्क को तर्क संगत बनाने, उपदान के सम्बन्ध में पारदर्शी नीति सुनिश्चित करने, कुशल एवं पर्यावरण–मित्र नीतियों के विकास, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों तथा अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने सम्बन्धी नियमों को समेकित किए जाने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003, 26 मई, 2003 को अधिनियमित किया गया था। 2003 में अधिनियमित इस अधिनियम के अधीन विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी, विनियामक दायित्वों में सरकार से दूरी बनाए रखने, 1910, 1948 तथा 1998 के पूर्व तीनों केन्द्रीय अधिनियमों में अनुरूपता एवं औचित्य स्थापित करते हुए राज्य विद्युत बोर्डों के अस्तिव बनाए रखने, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार अपने सुधार अधिनियम पारित करने तथा इसके साथ ही राज्य सरकार तथा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा लाइसेंसधारियां के नियंत्रण सम्बन्धी निराकरण उपायो से अन्यथा मूल विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए मात्र एक विधान बनाया जाना शामिल है।

2003 के अधिनियम तथा 1998 के अधिनियम के अधीन गठित केन्द्रीय एवं राज्य विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य सुधार अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए सभी आयोग अब विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन कार्य करते हैं। ये आयोग, अर्द्ध–न्यायिक तथा वैधानिक दायित्व तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करते हैं।

1.2 राज्य आयोगों की स्थापना का उद्देश्य :

विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने तथा सरकारी तन्त्र से विनियामक आयोगों के विनियामक दायित्व के निर्वहन में दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से देश में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सभी राज्यों के लिए एक विस्तृत तथा समान विनियामक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पंजीकरण की नितान्त आवश्यकता थी। इसके साथ ही इसमें खुली पहुँच तथा विपणन हेतु नवीन अवधारणा विकसित करना भी शामिल था। अतः विद्युत अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य निवेश सुविधाएं प्रोत्साहित तथा उपलब्ध करवा कर विद्युत क्षेत्र का वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार विकास करना है ताकि विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर गुणात्मक विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सके। विद्युत अधिनियम तथा इसके अधीन

निर्मित नीतियों के दृष्टिगत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य आयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

1.3 राज्य आयोग के कार्य

आयोग का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण तथा आपूर्ति के लिए शुल्क निर्धारण करना, वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर विद्युत संचारण तथा व्हीलिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि विद्युत क्षेत्र में निवेश, प्रतिस्पर्धा तथा कार्यकुशलता प्रोत्साहित करने के साथ–साथ शुल्क, सेवा की गुणवत्ता तथा प्रभावी शिकायत निवारण सहित उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) के अधीन राज्य आयोग को निम्नलिखित अनिवार्य कार्य सौंपे गए है :–

- राज्य के भीतर विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, संचारण एवं व्हीलिंग हेतु बहुल, थोक अथवा खुदरा, यथास्थिति, शुल्क निर्धारित करना : यह उपबन्धित है कि जहां धारा 42 के अधीन किसी उपभोक्ता वर्ग को खुली पहुँच की अनुमति प्रदान की गई हो, ऐसी स्थिति में राज्य आयोग उपभोक्ता के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में केवल व्हीलिंग प्रभार तथा उस पर लगने वाला प्रभार, यदि कोई हो, का ही निर्धारण करेगा।
- वितरण लाइसेंसधारियों की विद्युत क्रय एवं प्रापण प्रक्रिया को विनियमित करना जिसमें वह कीमत भी शामिल है जिस पर अनुबन्ध द्वारा उत्पादक कम्पनियों अथवा लाइसेंसधारियों अथवा अन्य स्त्रोतों से राज्य के भीतर वितरण एवं आपूर्ति हेतु विद्युत प्रापण किया जाएगा।
- राज्य के भीतर विद्युत संचारण तथा व्हीलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- उन व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना जो संचारण, वितरण लाइसेंसधारी व विद्युत व्यापारी के रूप में प्रदेश के भीतर प्रचालन में इच्छा रखते हों।
- ग्रिड से जोड़ने के लिए व किसी व्यक्ति को विद्युत विक्रय हेतु समुचित उपाय उपलब्ध करवाकर नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन एवं सहउत्पादन प्रोत्साहित करना तथा इसके साथ ही ऐसे स्त्रोतों से बिजली क्रय करने हेतु वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली कुल बिजली की प्रतिशतता निर्धारित करना।
- लाइसेंसधारियों व उत्पादक कम्पनियों के मध्य विवादों का निर्णय करना, किसी विवाद को मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजना।
- अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शुल्क लगाना ।

- धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन निर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड को निर्दिष्ट करना।
- लइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता, निरन्तरता तथा विश्वसनीयता के मानक तय करना अथवा उन्हें लागू करना।
- यदि आवश्यक हो तो, राज्य के भीतर व्यापार में व्यापारिक मार्जिन निर्धारित करना।
- ऐसे सभी अन्य कार्यों का निवर्हन जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे सौंपे जाए।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(2) के अधीन आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित अथवा किसी अन्य विषय में परामर्श प्रदान कर सकता है :–

(i) विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता एवं मितव्ययता को बढ़ावा देना।

(ii) विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना।

(iii) राजय में विद्युत उद्योग की पुर्नसंरचना तथा पुर्नसंगठन।

(iv) विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण व व्यापार अथवा अन्य सम्बन्धित सभी मामले जो कि राज्य सरकार, द्वारा आयोग को भेजे जाएं।

अध्याय–2

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

2.1 आयोग की संरचना

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग एक निगमित निकाय है, जिसका गठन विद्युत विनियामक अधिनियम, 1998(1998 का 14वां)के अधीन 31.12.2000 में किया गया था तथा आयोग द्वारा 6 जनवरी, 2001 को शिमला स्थित मुख्यालय से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82, 1998 के अधिनियम के अनुसार विद्युत विनियामक आयोग, 2003 के अधिनियम के प्रयोजन हेतु राज्य आयोग के रूप में कार्य करेगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82(4) के अनुसार राज्य आयोग में अध्यक्ष सहित अधिकतम् तीन सदस्य होंगे। राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जाती है जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके न्यायाधीश होंगे तथा सम्बंधित राज्य के मुख्य सचिव तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष इसके अन्य सदस्य होंगे। उनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होगा।

राज्य आयोग में इस समय केवल एक ही सदस्य है, श्री एस. एस. गुप्ता दिनांक 06–01–2001 से 05–01–2006 की अवधि के दौरान इसके पहले अध्यक्ष रहें, तत्पश्चात श्री योगेश खन्ना 31–01–2006 से 29–01–2011 तक इसके अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहें। इस समय श्री सुभाष चन्द्र नेगी दिनांक 01–02–2011 से इस पद पर कार्य कर रहें हैं।

2.2 संगठनात्मक संरचना

2.2.1 बहुआयामी कार्यदल :

विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित आयोग के कार्यों के स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके सदस्यों तथा कर्मचारियों के पास विविध ज्ञान तथा अनुभव होना वांछित है जैसा कि राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए निर्धारित की गई है। योग्यताओं से स्पष्ट है, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति की योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, जिसमें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि अथवा प्रबन्धन सम्बन्धी समस्याओं से निपटने की क्षमता के पर्याप्त ज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। तदनुसार आयोग के पास अधिकारियों का एक छोटा सा दल है जिसकी विविध व्यावसायिक पृष्ठभूमि है, इन में से अधिकतर लोगों को सेकिन्डमेन्ट आधार पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें प्रशासनिक, सचिवालय तथा समर्थन कर्मचारी वर्ग द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछेक मामलों में आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अधीन परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त की जा रही है, कार्यालय सुरक्षा, स्वागत कार्यालय सहायता, स्वच्छता आदि कुछ अन्य कार्यों के लिए भी बाह्य स्त्रोतों से सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं।

2.2 स्वीकृत संख्या :

पदों की संख्या, उनका स्वरूप, वेतन तथा भत्ते, अन्य सेवा शर्ते आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमोदन से निर्धारित की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 46 है जिन पर वर्ष के दौरान 26 व्यक्ति कार्यरत रहें। लगातार प्रयत्न किए जाने के बावजूद आयोग इन पदों को भरने में असमर्थ रहा जिसका कारण सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान न किया जाना तथा / अथवा सेकिन्डमेन्ट आधार पर नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का प्रोत्साहन उपलब्ध न होना है।

2.3 संरचना :

आयोग का शिमला में एक मात्र कार्यालय है, संगठनात्मक संरचना निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप में प्रदर्शित की जा रही है :–

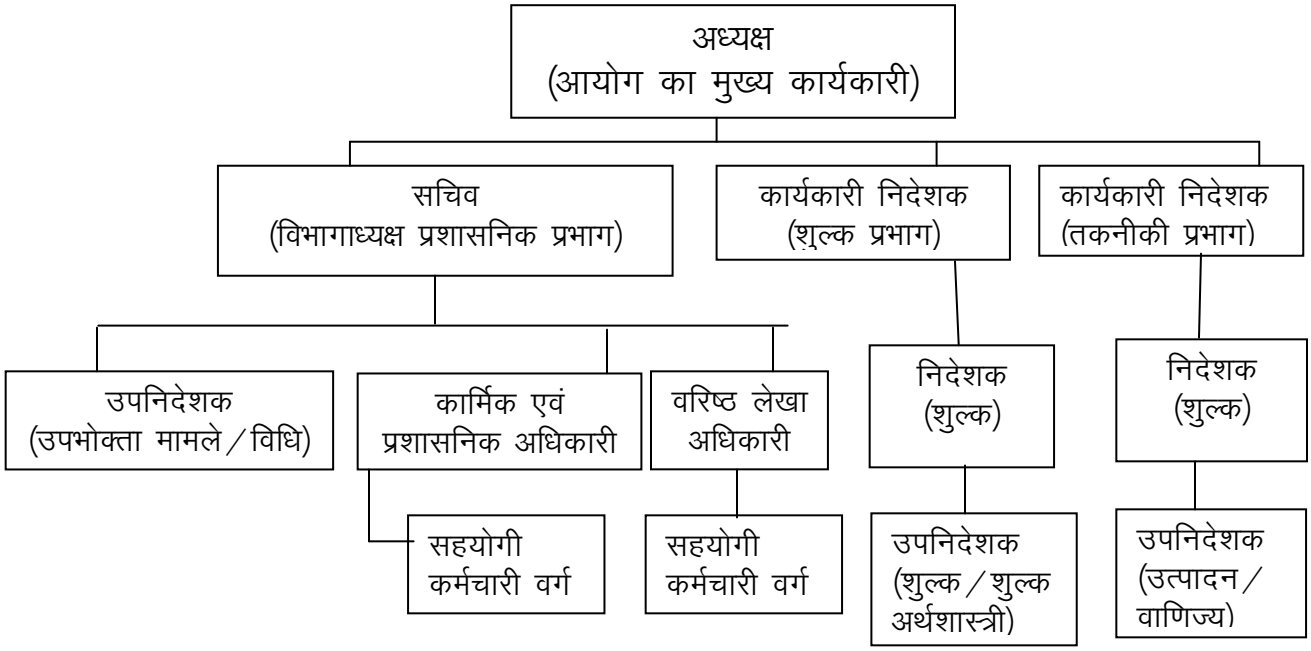

2.4 कार्यों का आबंटन

आयोग का कार्यालय शिमला में स्थित है। अध्यक्ष, आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आयोग के अन्तर्गत प्रशासनिक, तकनीकी तथा शुल्क नामक तीन प्रभाग हैं। आयोग के विभिन्न कार्य इन प्रभागों तथा उनके प्रमुखो को सौंपे गये हैं जिनका विवरण निम्नप्रकार है :–

2.4.1 प्रशासनिक प्रभाग

यह प्रभाग आयोग के सचिव के अधीन कार्य करता है जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनके द्वारा प्रशासनिक, वित्त तथा विवि मामलें, कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी मामलों में आयोग को विशेष सहयोग प्रदान किया जाता है, इसके साथ ही इनके द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच सम्पर्क तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य भी किया जाता है, इसके अतिरिक्त, संगठन, बज़ट, क्रय एवं प्रापण, रख–रखाव, देखभाल, कार्मिक, प्रबन्धन, विधि तथा

न्यायालय सम्बन्धी मामले, प्रशिक्षण एवं मूल्याकंन आदि महत्वपूर्ण कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं।

• सचिव

सचिव, आयोग के प्रशासनिक एवं सचिवालय प्रभाग के प्रमुख हैं। वह आयोग, इसकी विभिन्न शाखाओं, केन्द्रीय एवं राज्य की संस्थाओं तथा लाभार्थियों के मध्य सेतु का कार्य करता है। वह आयोग की नीति तथा प्रशासन से सम्बंधित सभी मामलों में परामर्श प्रदान करता है। सचिव द्वारा, विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन किया जाता है :–

1. आयोग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करना तथा मौलिक एवं पूरक नियमों, हिमाचल प्रदेश वित्त नियम तथा आयोग द्वारा अपनाए गये अन्य नागरिक सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुरूप अन्य कार्य करना।
2. राज्य सलाहकार समिति की समय–समय आयोजित की जाने वाली बैठकों में पदेन सचिव के रूप में कार्य करना।
3. हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन कार्य करना, यथा :–

(क) आयोग से सम्बन्धित सभी याचिकाओं, आवेदनों, अन्य अभिवचनों तथा संदर्भों को प्राप्त करना अथवा करवाना।

(ख) आयोग के समक्ष किये गए ऐसे सभी अभिवचनो का सक्षेप तथा सारांश तैयार करना अथवा करवाना।

(ग) आयोग द्वारा संचारित कार्यवाहियों में सहयोग देना।

(घ) आयोग द्वारा पारित आदेशों को अधिप्रमाणित करना।

(ड.) आयोग द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना सुनिश्चि करना।

(च) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा उनके अभिकरणों, राज्य विद्युत बोर्डों अथवा अन्य कार्यालयों, कम्पनियों तथा फर्मों अथवा अन्य किसी व्यक्ति से, ऐसी सूचना जिसे आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के कुशल निवर्हन के प्रयोजन हेतु उपयोगी समझा जाता हो, को एकत्र करना अथवा करवाना।

(छ) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय विद्युत अधिकरण, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत जारी वैधानिक अधिसूचनाओं, नियमों, आदेशों एवं निर्देशों की प्रतियां रखना।

(ज) विनियमों, वैधानिक अधिसूचनों, आदेशों की अधिप्रमाणित प्रतियों का कालानुक्रमिक संग्रहण करना तथा उनसे सम्बंधित विशिष्टियां एवं विवरण का रजिस्टर रखना।

(झ) आयोग द्वारा जारी सभी आदेशों निर्देशों तथा विनियमों को आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना।

(ञ) आयोग की ओर से समनो की तामील स्वीकार करना तथा इसके साथ ही वाद पत्रों तथा प्रतिपादनों पर हस्ताक्षर करना तथा उनका सत्यापन करना।

4. आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों में उचित व्यवहार व अनुशासन सुनिश्चित करना।
5. शिकायत निवारण तथा उपभोक्ता शिकायतों का निवारण।
6. विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विनियम के अधीन सौंपे गये अन्य किन्ही कार्यों का निवर्हन करना।
7. आयोग द्वारा प्रायोजित तथा सौंपे गये अन्य कोई भी कार्य।

2.4.2 तकनीकी प्रभाग :

यह प्रभाग, विनियामक मामलें, जिसके अन्तर्गत विनियम बनाना, ग्रिडकोड, वितरण कोड, आपूर्ति कोर्ड आदि शामिल है, तथा एतद् सम्बन्धी अन्य कार्य, लागत आबंटन तथा दर डिजाईन प्रस्ताव, टी एण्ड डी तथा एटी एण्डी सी क्षतियों का विश्लेषण एवं मूल्याकंन, तकनीकी निष्पादन तथा सेवा मानको का मूल्यांकन, लोड फोर कास्ट, विद्युत क्रय अनुबन्ध आदि विषयों को देखता है। कार्यकारी निदेशक इसके प्रमुख हैं जो मुख्य अभियन्ता (विद्युत) स्तर के अधिकारी हैं। इनकी सहायता के लिए एक निदेशक (तकनीकी) हैं जो अधीक्षण अभियन्ता के स्तर के अधिकारी हैं, इसके अतिरिक्त इस प्रमाग में दो उप–निदेशक तथा सहयोगी कर्मचारी भी कार्यरत हैं।

कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)

1. आयोग को इंजीनियरिंग, आर्थिक तथा नीति विश्लेषण सम्बन्धी अन्य तकनीकी तत्वों के बारे परामर्श प्रदान करना।
2. प्रस्तुत किए गये साक्ष्य के तकनीकी पहलुओं को समझना एवं उनका विश्लेषण करना तथा आयोग के आदेशों को लिखित रूप देने में सहायता प्रदान करना।
3. लागत आबंटन तथा दर डिजाईंन प्रस्तावों सम्बन्धी विशेष कार्य करना, उपयोगिता योजना तथा संचालन निणर्यों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन, मुख्य उपयोगिता निर्माण परियोजनाओं के रेखांको तथा विवरणों की समीक्षा, कार्य स्थल पर निरीक्षण प्रणाली में सुधार लाना, उपयोगिता रिपोंर्टो की संवीक्षा तथा तकनीकी निष्पादन तथा सेवा मानकों का मूल्यांकन कारना।
4. विद्युत क्रय अनुबन्धों का निरीक्षण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन।

5. संचारण लाइसेंस, वितरण लाइसेंस तथा विद्युत व्यपारियों द्वारा राज्य के भीतर कार्य करने के सम्बन्ध में इच्छुक लोगो को लाइसेंस जारी करने में आयोग को सहयोग प्रदान करना
6. समस्त निवेश कार्यक्रमों, तकनीकी मानको एवं प्रक्रियाओ, ग्रिड एवं वितरण कोडो, सेवा मानको, वित्तीय एवं आर्थिक मानकों, तकनीकी निरीक्षण एवं संग्रहण, तकनीकी आंकड़ो के संकलन तथा विश्लेषण का पुनरीक्षण तथा अनुमोदन।
7. विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन सभी सम्बन्धित विनियमों को तैयार करना तथा उनका पुनरीक्षण करना।
8. संचारण सुविधा तथा विद्युत वितरण से सम्बन्धित अन्तराज्यीय तथा अन्तर प्रदेशीय मामलों तथा संचारण सुविधाओं एवं विद्युत वितरण सम्बन्धी अन्य मामले।
9. खुली पहुँच के कार्यान्वयन हेतु सुविधाएं प्रदान करना/ संवीक्षा।
10. ग्रिड संयोजन के उपर्युक्त उपाय उपलब्ध कराते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन तथा सह उत्पादन को बढ़ावा देना तथा किसी व्यक्ति को विद्युत बेचने के साथ–साथ वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में विद्युत की खपत को विनिर्दिष्ट करना।
11. आयोग द्वारा सौंपे गये कोई अन्य कत्तर्व्य।

2.4.3 शुल्क प्रभाग :

यह प्रभाग, विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण, दीर्घकालीन शुल्क विन्यास योजना, शुल्क प्रक्रिया हेतु पर्याप्त वित्तीय एवं आर्थिक निवेश उपलब्ध कराना, युटिलिटीज के आर्थिक निष्पादन तथा अनुपालना रिपोर्ट की संवीक्षा सहित युटिलिटीज के शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्य करता है। कार्यकारी निदेशक इसके प्रमुख हैं जो मुख्य अभियन्ता (विद्युत) स्तर के अधिकारी हैं। इन्हे एक निदेशक (शुल्क) की सहायता प्राप्त है, जो अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी हैं, इसके साथ ही इस प्रभाग में दो उपनिदेशक एवं सहायक कर्मचारी वर्ग भी कार्य कर रहे हैं।

कार्यकारी निदेशक (शुल्क)

1. शुल्क विनियम तैयार करना तथा राज्य के भीतर विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, संचारण एवं व्हीलिंग, थोक, बहुल अथवा खुदरा, यथास्थिति के सम्बन्ध में शुल्क निर्धारित करना।
2. राष्ट्रीय विद्युत नीति योजना तथा राज्य विद्युत नीति, यदि सरकार द्वारा कोई प्रकाशित की गई हो के अनुरूप शुल्क सम्बन्धी मामलों का निर्धारण।

3. आयोग को पूंजी लागत, पूंजी लागत दर, आधार लागत, राजस्व, व्यय, मूल्यह्रास तथा शुल्क डिजाईन आदि के सम्बन्ध में साक्ष्य तथा अन्य सामग्री तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
4. लेखांकन तथा वित्त सम्बन्धी मामलो में जिरह के लिए प्रश्न तैयार करने, सीधे साक्ष्य प्रस्तुत करने, दर वाद प्रदर्श मूल्यांकन में सहायता प्रदान करने के साथ–साथ आयोग को वित्तीय तथा आर्थिक मामलो में परामर्श प्रदान करना।
5. युटिलिटीज़ के विकास तथा सभी प्रकार के निवेशों का पुनरीक्षण तथा अनुमोदन।
6. युटिलिटीज़ द्वारा प्रस्तुत मुख्य घटनाओं, वित्तीय निष्पादन तथा अनुपालना रिपोर्टों की संवीक्षा भी करना।
7. टी एण्ड डी, एटी एण्ड सी क्षतियों की पुनरीक्षण तथा अनुपालना।
8. निष्पादन के मानकों की संवीक्षा।
9. आयोग द्वारा सौंपे गये कोई अन्य दायित्व।

अध्याय–3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उतरदायित्व के माध्यम शामिल हैं

विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा आयोग को मुख्य रूप से विभिन्न विनियम बनाने, इन वनियमो के अन्तर्गत आदेश जारी करने तथा समय–समय पर इसके समक्ष दायर की गई याचिकाओं को निपटाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उपरोक्त दायित्वों के निवर्हन के दौरान आयोग, अधिनियम/नियम/विनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग/विनियमों के फोरम, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण/ भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा शुल्क नीति एवं विद्युत नीति आदि को ध्यान में रखते अपना निर्णय देता है। आयोग के समक्ष की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 के अध्याय–II में विनिर्दिष्ट की गई है। आयोग अर्द्ध न्यायिक मामलों में स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेता है तथा जहां तकनीकी सहायता की आवश्यकता समझी जाती है वहां आयोग अपने तकनीकी दल तथा उसके द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं से परामर्श लेकर अपना निर्णय देता है। जहां तक आन्तरिक निर्णय करने का सम्बन्ध है, इसके लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने कत्तव्यों/कार्यों के निवर्हन हेतु खड़ी रिपोर्टिंग पद्वति अपनाई जाती है तथा मुख्य निर्णय आयोग के स्तर पर लिए जाते हैं। तथापि नैत्यिक निर्णय, नियमों, विनियमों तथा प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार पर लिए जाते हैं।

आयोग अपने कार्य का संचालन, प्रशासन, वित एवं विधि प्रभाग, तकनीकी विश्लेषण प्रभाग तथा शुल्क एवं वित्तीय विश्लेषण प्रभाग के माध्यम से करता है। उपरोक्त तीनों प्रभाग क्रमशः सचिव, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) तथा कार्यकारी निदेशक (शुल्क) के अधीन कार्य करते हैं। सम्बन्धित प्रभागों के मामले उन प्रभागों में कार्यरत सहायक कर्मचारियों द्वारा विचारित किए जाते हैं जो शाखा के प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार सभी प्रभागों के प्रमुख दस्तावेज तथा रिर्पोट, अध्यक्ष/आयोग को प्रस्तुत करते हैं। राज्य आयोग अपनी शक्तियों तथा कत्तव्यों का निवर्हन करते हुए यह सुनिश्चत करता है कि व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सुनवाई सहित प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों को अपनाते हुए निर्णय लेते समय पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाए।

अध्याय–4

आयोग के कृत्यों के निवर्हन हेतु अपनाए जाने वाले मानदण्ड

आयोग की कार्य प्रणाली विद्युत अधिनियम, 2003 तथा सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा राज्य की नितियों के अधीन विनियमित होती है। कुछेक मुख्य क्षेत्रों में विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन शुल्क निर्धारण तथा लाईसेंस जारी करने जैसे मुख्य कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। शुल्क निर्धारण अथवा एतद् सम्बन्धी सभी मामलो का निपटारा भी अधिनियम में विनिर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति से 120 दिन की अवधि के भीतर निपटाए जाने अपेक्षित हैं। तथापि यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में प्राकृतिक न्याय की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकारी विभागों के लिए कार्यालय नियमावली में विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु विहित मानक आयोग द्वारा भी अपनाए जा रहे हैं। जहां तक विभिन्न व्यय स्वीकृति सम्बन्धी मानकों का सम्बन्ध है, आयोग द्वारा निधि नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत वित्तीय प्रक्रिया/प्रत्यायोजन के आधार पर आयोग, अध्यक्ष, सचिव तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी को विभिन्न प्रकार के व्यय स्वीकृत करने सम्बन्धी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अध्याय–5

योजनाएं, प्रस्तावित व्यय तथा किए गये संवितरणों को उपदर्शित करते हुए बज़ट विवरण :

आयोग, वेतन एवं भतों के भुगतान हेतु राज्य सरकार से सहायता अनुदान के रूप में बज़ट प्राप्त करता है। वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग को मुख्य लेखा शीर्ष 2801–80–800–01– SOON –41 गैर योजना के अधीन 90.00 लाख रूपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई। आयोग द्वारा बजट का आबंटन आगे नहीं किया जाता क्योंकि इसका कोई भी अधीनस्थ कार्यालय नहीं है आयोग की सभी प्रकार की प्राप्तियां तथा भुगतान अपनी निधि से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः MPP-A (3) -7/2004 दिनांक 03–05–2007 के अधीन विनियमित होती है। आयोग के वर्ष 2012–13 के वार्षिक लेखे निधि नियमों में विहित प्रपत्र पर तैयार किए गये हैं। आयोग के लेखे प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा, आय तथा व्यय लेखा तथा तुलन पत्र के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं।

आयोग की वर्ष 2012–13 वित्त वर्ष की कुल आय 497.04 लाख रूपये आंकी गई है। सम्बन्धित वर्ष के दौरान 308.56 लाख रूपये का व्यय हुआ इस प्रकार 31.03.2013 वर्ष को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान आय तथा व्यय लेखा के अनुसार 188.48 लाख रूपये का अधिक्य हुआ।

5.1 आयोग की वित्तीय स्थिति :

आयोग की 31.03.2013 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

			लाख रूपयों में
दायित्व		**परिसम्पतियां**	
विवरण	**राशि**	**विवरण**	**राशि**
समूह निधि	1687.85	जमा परिसम्पतियां	28.48
वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान	32.64	निवेश	1401.63
		अन्य वर्तमान परिसम्पनियां तथा अग्रिम	240.23
		प्रतिभूति राशि	0.57
		नगदी तथा बैक शेष	49.58
योग	**1720.49**		**1720.49**

5.2 आयोग के लेखों को विधान सभा में प्रस्तुत करना :

आयोग के वर्ष 2012–13 के वार्षिक लेखे निधि नियमों के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित लेखे तथा एतद् सम्बन्धी लेखा रिपार्ट विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने हेतु राज्य सरकार को भेजी गई जैसा कि हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग निधि नियमों के नियम 7(4) द्वारा वांछित है इसे 04–02–2014 को विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया।

अध्याय–6

वर्ष के दौरान आयोग की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

वर्ष के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गई :–

6.1 प्रशासनिक, वित्त तथा विधि प्रभाग :

वर्ष 2012–13 के दौरान, वर्ष 2011–12 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप दिया गया तथा उन्हें राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सरकार को भेजा गया। सभी प्रकार की खरीद तथा प्रापण आयोग की आवश्यकताओं के दृष्टिगत किए गये। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष के दौरान आयोग द्वारा सभी विनियम जिन्हे अन्तिम रूप दिया गया था, को भी राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया गया। आयोग की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के लेखा परीक्षा दल द्वारा कारवाई गई। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा अपने अधिकारियों को राज्य तथा राज्य से बाहार विभिन्न प्रशिक्षणों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं/ बैठकों में भाग लेने हेतु भेजा गया।

6.1.1 विवाद अधिनिर्णय–राज्य आयोग के समक्ष मामले:

आयोग में, याचिकाओं, उत्तरों, प्रत्युतरों तथा आपतियो का आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा परीक्षण तथा छानबीन की जाती है। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विभिन्न याचिकादाताओं तथा लाभार्थियों से प्राप्त 47 याचिकाओं में से 35 याचिकाओ पर निर्णय प्रदान कर निपटान किया गया तथा 31.03.2013 तक 12 याचिकाए निर्णय हेतु लम्बित पड़ी हैं। दायर की गई याचिकाओ, निर्णीत तथा लम्बित याचिकाओ का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रं सं	मामले			मामलों का विवरण	प्राप्ति की तिथि	निपटान की तिथि
	संख्या	वादी, अपीलकर्ता अथवा याचिकादाता	प्रतिवादी अथवा प्रत्यर्थी			
1.	याचिका संख्या 67/2012	मैसर्ज तेजासारनिका हाइड्रोएनेर्जन प्रा०	हिमाचाल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु याचिका	4.4.2012	7.4.2012

		लिमिटिड				
2.	याचिका संख्या 68 / 2012	मैसर्ज रंगा राजू वेयरहॉंडसिग (प्रा०) लिमिटेड	हिमाचाल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु याचिका	4.4.2012	7.4.2012
3.	याचिका संख्या 69 / 2012	मैसर्ज चामुण्डा हाईड्रोइलेक ट्रो प्रोजेक्ट	हिमाचाल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु याचिका	4.4.2012	30.4. 2012
4.	याचिका संख्या 70 / 2012	मैसर्ज जिरा स्माल हाईड्रोइलेक ट्रो प्रोजेक्ट	हिमाचाल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु याचिका	5.4.2012	16.4. 2012
5.	याचिका संख्या 74 / 2012	मैसर्ज के. के. हाईड्रोपॉंवर	हिमाचाल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 तथा 96 के अधीन याचिका	10.4.2012	16.3. 2013
6.	याचिका संख्या 82 / 2012	मैसर्ज हिमाचल चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डॅस्ट्री	हिमाचाल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (ROE of Elect. Supply) विनियम, 2005 के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 43, 86 के अधीन याचिका।	3.5.2012	27.11. 2012
7.	याचिका संख्या 84 / 2012	मैसर्ज जी. पी. वी. एल.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	बकाया राशि पर ब्याज से सम्बन्धित अपील संख्या 178 / 2010 के सम्बन्ध में अपीलिय न्यायालय द्वारा वासपा II से वित्त वर्ष 2003–04 से वित्त वर्ष	4.5.2012	इस मामले में अपीलीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश को हिमाचल

				2010–11 से विद्युत विक्रय शुल्क बकाया पर ब्याज को यर्शातपरक बनाने हेतु आवेदन		प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा उच्चतम न्यायलय में चुनौती दी गई अतः इस सम्बन्ध में निणर्य लम्बित है।
8.	याचिका संख्या 86/2012	मैसर्ज़ बटोट हाईड्रो पॉवर लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु याचिका	16.5.2012	5.9.2012
9.	याचिका संख्या 88/2012	मैसर्ज़ काला अम्ब चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री त्रिलोकपुरा रोड काला अम्ब	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 के विनियम, 142 तथा सी. बी. आर. के विनियम 52 के अधीन याचिका	25.5.2012	27.11. 2012
10.	पुर्नाविचार याचिका संख्या 89/2012	हिमाचल प्रेदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	24 अप्रैल 2012 को वित्त वर्ष 2012–13 के शुल्क आदेश तथा द्वितीय एम वाई टी नियंत्रण अवधि के विरूद्ध आयोग में पुर्नाविचार याचिका	24.5.2012	23.10. 2012
11.	याचिका संख्या 91/2012	मैसर्ज़ रंगा राजू वेयर हॉऊससिंह प्रा०	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	खण्ड में संशोधन हेतु याचिका जैसा कि विनियामक आयोग के औसत	30.5.2012	16.7. 2012

		लिमिटेड		विद्युत प्रापण लागत तंत्र के अधीन आई पी.पी. विक्रय हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध मानक समाविष्ट किया गया है।		
12.	याचिका संख्या 92/2012	मैसर्ज़ कपिल मोहन एण्ड एसोसिएट हाईड्रो विद्युत (प्रा०) लिमेटेड			5.6.2012	16.7. 2012
13.	याचिका संख्या 93/2012	मैसर्ज़ योगिन्द्रा विद्युत लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	खण्ड में संशोधन हेतु याचिका जैसा कि विनियामक आयोग के औसत विद्युत प्रापण लागत तंत्र के अधीन आई पी.पी. विक्रय हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध मानक समाविष्ट किया गया है।	5.6.2012	16.7. 2012
14.	याचिका संख्या 94/2012	मैसर्ज़ हिम पॉवर एसोसियेट लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड/डोगरा पॉवर प्रोजेकटस्	33/11 के वी उप–स्टेशन कोटी के अन्तरापृष्ठ की वास्तविक लागत का अनुमान लगाने हेतु मुख्य अभियन्ता संचालन/हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को निदेश दिए जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र	7.6.2012	16.7. 2012

15.	याचिका संख्या 94 / 2012	मैसर्ज़ योगिन्द्रा पॉवरस लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक, विनियम, 2007 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 तथा 94 के अधीन याचिका के सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन पर उचित आदेश / निर्देश	21.6.2012	25.7. 2012
16.	याचिका संख्या 101 / 2012	मैसर्ज़ जे पी वी जे	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	वित्त वर्ष 2003–04 से 2010–11 तक वसपा–II जलविद्युत परियोजना से विक्रय की जाने वाली बिजली के शुल्क सम्बन्धी आवेदन पर विचार तथा नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2011–12 से वित्त वर्ष 2014 के लिए शुल्क का संशोधन	25.6.2012	6.9.2012
17.	याचिका संख्या 104 / 2012	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	मैसर्ज़ बरोट हाईड्रो पॉवर लिमिटेड	दिनांक 29.07. 2006 को अनुमोदित विद्युत क्रय अनुबन्ध को रदद् करने के लिए संयुक्त याचिका	4.7.2012	5.9.2012
18.	पुनरीक्षण याचिका संख्या 105 / 2012	मैसर्ज़ बी बी एन आई ए	मैसर्ज़ बरोट हाईड्रो पॉवर लिमिटेड	दिनांक 24.4.2012 के आदेश के शुल्क हेतु पुनरीक्षण याचिका	4.10.2012	27.11. 2012
19.	याचिका संख्या	हिमाचल प्रदेश	मैसर्ज़ गिनी गलोबल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा	12.7.2012	16.8. 2012

	107 / 2012	विद्युत बोर्ड लिमिटेड		86(1) के अधीन सयुंक्त याचिका के अनुमोदन हेतु याचिका		
20.	याचिका संख्या 114 / 2012	मैसर्ज़ जीत सिंह	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 (3) के अधीन क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु याचिका	20.7.2012	31.8. 2012
21.	याचिका संख्या 115 / 2012	मैसर्ज़ मंगल सिंह	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 (3) के अधीन क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु याचिका	20.7.2012	31.8. 2012
22.	याचिका संख्या 118 / 2012	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	मैसर्ज़ के. के. हाईड्रो	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सी. बी. आर.) के विनियम 68, 69,70 तथा 71 के अधीन अधिकारो के अतिक्रमण हेतु याचिका	27.7.2012	अधिनिर्ण य के लिए लम्बित
23.	याचिका संख्या 122 / 2012	मैसर्ज़ नालागढ़ इन्ड. एसो.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	विद्युत अधिनियम, 2003 के विनियम, 142 व्यापार संचालन विनियम तथा विनियम 52 के अधीन विद्युत विनियम 2003 के उल्लंघन करते हुए आई डी सी के लिए प्रति के वी ए मूल्य न वसुलने हेतु प्रतिवादि को निर्देश देने के लिए याचिका	7.8.2012	27.11. 2012

24.	याचिका संख्या 123 / 2012	मैसर्ज़ हाई केम एग्रो इन्ड्र	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126, 128,के अधीन आवेदन	7.8.2012	31.8. 2012
25.	याचिका संख्या 125 / 2012 , 149 / 09 को शामिल करते हुए (कत्था मामला)	मैसर्ज़ जी. पी.आई टैक्सटाईल लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	आयोग द्वारा दिनांक 29.8.2009 को पारित आदेशो की अनुपालना करते हुए प्रतिवादि द्वारा इस पर अमल न करने के विरूद्ध शिकायत	14.8.2012	अधिनिर्ण य लम्बित
26.	याचिका संख्या 127 / 2012	मैसर्ज़ टैंगम रानवी पॉवर जेनेरेशन (प्रा०) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	एस. एच. पी. के लिए ''एस / मैड टर्म'' विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु आवेदन	28.8.2012	19.8. 2012
27.	याचिका संख्या 128 / 2012	मैसर्ज एपेक्स विजन पॉवर (प्रा०) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु आवेदन	28.8.2012	10.9. 2012
28.	स्पटीकरण याचिका संख्या 133 / 2012	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	————	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सी. बी.आर.) विनियम, 2005 के विनियम 63 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1) के अधीन स्पष्टीकरण याचिका	30.8.2012	29.12. 2012
29.	याचिका संख्या	मैसर्ज़ अम्बूजा	हिमाचल प्रदेश राज्य	विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी व्यय की	1.9.2012	अधिनिर्ण य लम्बित

	138 / 2012	सिमिट	विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा अन्य	वसूली विनियम, 2005 के विनियम 5 तथा 6 के अधीन याचिका		
30.	याचिक संख्या 141 / 2012	मैसर्ज़ साराबाई एन्टरप्राइज़िज (प्रा०) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा अन्य	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003की धारा 84 तथा 94 के अधीन एतद् द्वारा प्रस्तुत के अनुसार उपयुक्त आदेश / निर्देश जारी करने हेतु याचिका	19.9.2012	1.12. 2012
31.	याचिका संख्या 142 / 2012	मैसर्ज़ स्नोडिऊ हाइड्रोपॉवर प्रोजेन्ट (प्रा०) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा अन्य	विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका (आर.ई. सी. तंत्र के अधीन)	15.9.2012	21.9. 2012
32.	याचिका संख्या 144 / 2012	मैसर्ज़ मणिमहेश हाईड्रोपॉवर प्रोजेक्ट	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हिमाचल विद्युत विनियामक आयोग विनियम 3(3) (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रतों से विद्युत की खरीद तथा वितरण लाइसेंसधारी द्वारा सह–उत्पादन, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2007 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86	28.9.2012	अधिनिर्ण य लम्बित

				के अधीन इस याचिका को स्वीकृत करने तथा सांझी संचार लाईन प्रयोग करने की अनुमति हेतु दायर याचिका		
33.	याचिका संख्या 145 / 2012	मैसर्ज़ लांको हाईड्रोपॉवर लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	अनुपूरक विद्युत क्रय अनुबन्ध में दिनांक 6.12.2010 को पार्टियों के मध्य दर्ज किए गये नाम में परिवर्तन करने सम्बन्धी आवेदन।	28.9.2012	अधिनिर्णय लम्बित
34.	याचिका संख्या 146 / 2012	मैसर्ज़ लांको थर्मल पॉवर लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	अनुपूरक विद्युत क्रय अनुबन्ध में दिनांक 6.12.2010 को पार्टियों के मध्य दर्ज किए गये नाम में परिवर्तन करने सम्बन्धी आवेदन।	28.9.2012	अधिनिर्णय लम्बित
35.	याचिका संख्या 155 / 2012	मैसर्ज़ आईक्यु हाईड्रो पॉवर	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 3(3) नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत की खरीद तथा वितरण लाइसेंसधारी द्वारा सह–उत्पादन, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियमक आयोग विनियम, 2007 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86	11.10.2012	18.12.2012

				के अधीन इस याचिका की स्वीकार करने तथा सांझी संचार लाईन प्रयोग करने की अनुमति हेतु दायर याचिका		
36.	केस संख्या 134 / 12, 101 / 2012 के सम्बन्ध में पुनरीक्षण याचिका संख्या 158 / 2012	मैसर्ज़ जे पी वी एल	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	वसपा–II जल विद्युत संयम के 300 मे. वाट. विद्युत शुल्क से सम्बन्धित दिनांक 31–8–2012 को याचिका संख्या 134 / 2012 तथा एम ए संख्या 101 / 2012 135 / 2011 के बारे पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु आवेदन	20.10.2012	29.12. 2012
37.	याचिका संख्या 164 / 2012	मैसर्ज़ एम. स्टील	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विनियम संख्या 52, व्ययसाय विनियम संचालन तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के विनियम, 142 के अधीन प्रतिवादी को पद्धति निष्पादन में सुधार लाने, बार–बार लोड शैडिंग न करने, अनुबन्धित आवश्यकता की आपूर्ति करने में असफल रहने पर यथानुपात मांग प्रभार की प्रतिपूर्ति हेतु याचिका	31.10.2012	अधिनिर्ण य लम्बित

38.	याचिका संख्या 168 / 2012	मैसर्ज़ साल हाईड्रो पॉवर (प्रा०) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु आवेदन	8.11.2012	14.12. 2012
39.	याचिका संख्या 170 / 2012	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	———	विद्युत आपूर्ति हेतु प्रतिभूमि जमा राशि के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाईयां के निराकरण के लिए आवेदन जैसा कि प्रतिभूमि विनियम, 2005 में विर्निष्ट है।	20.11.2012	अधिनिर्ण य लम्बित
40.	याचिका संख्या 171 / 2012	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	————	व्हीलिंग तथा खुदरा आपूर्ति विनियम, 2011 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कठिनाईयों के निराकरण (कार्यशील पूंजी आवश्यकता) हेतु आवेदन	20.11.2012	16.03. 2013
41.	याचिका संख्या 172 / 2012	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	————	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग आर ओ पी विद्युत आपूर्ति विनियम, 2012 सर्विस कनैक्शन चार्जिज प्रभार की अनुसूची हेतु प्रस्ताव जैसा कि विनियम, 14 में विहित है।	24.11.2012	15.12. 2012
42.	याचिका संख्या 178 / 2012	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड	————	बनेर संगम जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में	10.12.2012	15.12. 2012

		लिमिटेड तथा जोगिन्द्रा पॉवर		विद्युत क्रय अनुबन्ध हेतु संयुक्त याचिका		
43.	याचिका संख्या 181 / 2012	मैसर्ज़ आदित्य इण्ड.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत लिमिटेड़	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (मीटरो की स्थापना तथा संचालन) विनियम, 2006 के साथ पठित अधिनियम की धारा 55 की उप–धारा (3) की धारा 86, 94 के अधीन लाइसेंस धारी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधिनियम की धारा 55 तथा उप–धारा (1) के अधीन निर्मित विनियमों की अनुपालना हेतु निर्देश देने तथा एतद् द्वारा किए गये अनुरोध के अधीन याचिका–दाताओं को उनके परिसर में स्थापित बिजली मीटर की रिडिंग के आधार पर बिल जारी करने सम्बन्धी याचिका	17.12.2012	अधिनिर्णय लम्बित
44.	याचिका संख्या 182 / 2012	मैसर्ज़ न्यूगल पॉवर कम्पनी	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम 3(3) (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत की खरीद	24.12.2012	11.03.2013

				तथा वितरण लाइसेंसधारी द्वारा सह–उत्पादन) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2007 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अधीन इस याचिका को स्वीकृत करने तथा सांझी संचार लाईन प्रयोग की अनुमति हेतु दायर याचिका		
45.	याचिका संख्या 183 / 2012	मैसर्ज़ आवा पॉवर कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम 3(3) (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत की खरीद तथा वितरण लाइसेंसधारी द्वारा सह–उत्पादन) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2007 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अधीन इस याचिका को स्वीकृत करने तथा सांझी संचार लाईन प्रयोग की अनुमति हेतु दायर याचिका	24.12.2012	11.3. 2013
46.	पुनरीक्षण	मैसर्ज़	हिमाचल	हिमाचल प्रदेश	23.3.2013	अधिनिर्ण

	याचिका संख्या 20 / 2013	बटोट हाईड्रो पॉवर	प्रदेश विद्युत बोर्ड	राज्य विद्युत विनियामक आयोग 2005 के विनियम, 63 (कार्य संचालन) सी पी सीर नियम 1 के आदेश 47 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1) (एफ) के अधीन, याचिका संख्या 86 / 2012 तथा 104 / 2012 पर दिनांक 5.9.2012 को जारी आदेश के पुनरीक्षण हेतु आवेदन		य लम्बित
47.	याचिका संख्या 22 / 2013	मैसर्ज़ पुरी ऑयल लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, (नवीकरणीय साधनो से विद्युत प्रापण तथा वितरण लाइसेंसधरी द्वारा सह–उत्पादन) की धारा 62, 86, तथा 94, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनयाम आयोग विनयम, 2007 में किए गये प्रथम संशोधन के सम्बन्ध में स्वीकार करने के अनुरोध सहित शुल्क निर्धारण हेतु याचिका।	26.2.2013	अधिनिर्ण य लम्बित

आयोग में 01–04–2012 से पूर्व लम्बित मामलों की सूची :–

क्रं सं	मामले			मामलों का विवरण	प्राप्ति की तिथि	निपटान की तिथि
	याचिका संख्या	वादी, अपीलकर्ता अथवा याचिकादाता	प्रतिवादी अथवा प्रत्यर्थी			
1.	याचिका संख्या 13/2011	मैसर्ज़ विनसोर टेक्सटाईटल इण्ड लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम 3(3) (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत प्रापण तथा वितरण लाइसेंसधारी द्वारा सहउत्पादन) 2007 के विनियम 3(3) के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अधीन याचिका	15.2.2011	17.4.2012
2.	याचिका संख्या 103/2011	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	–––––	विद्युत क्रय अनुबंध के अनुमोदन हेतु याचिका	27.7.2011	18.6.2012
3.	याचिका संख्या 119/2011	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	–––––	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के विनियम 63 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 94 (1) के अधीन पुनरीक्षण याचिका	1.10.2011	23.4.2012
4.	याचिका संख्या 121/2011	मैसर्ज़ फोर सीजन पॉवर (प्रा०) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश सरकार, द्वारा प्रधान	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के साथ पठित, भारतीय	25.10.2011	अधिनिर्णय लम्बित

			सचिव (एम पी वी एण्ड पॉवर) तथा अन्य	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन याचिका		
5.	याचिका संख्या 123 / 2011	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	————	एम वाई टी आदेश दिनांक 19.07. 2011, पांचवा संशेधन दिनांक 30.11.2010 तथा विद्युत विनियम 2004 के विनियम, 3 तथा 6 में संशोधन हेतु याचिका / आवेदन	9.8.2011 16.11.2011	5.1.2013
6.	पुनरीक्षण याचिका संख्या 124 / 2011	मैसर्ज़ जे. पी. वी. एल.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	वसपा–II जल विद्युत परियोजना से विद्युत विक्रय हेतु वास्तविक शुल्क हेतु पुनरीक्षण याचिका	18.11.2011	23.4.2013
7.	याचिका संख्या 125 / 2011	एच. पी. एस. एल. डी. एस.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	प्रथम नियन्त्रण अवधि (2011–12 से 2013–14) के लिए एम वाई टी याचिका	18.11.2011	05.01. 2013
8.	याचिका संख्या 126 / 2011	मैसर्ज़ बेल्ज हाईड्रो पॉवर (प्रा०) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा धारा 86 (1) (क) तथा धारा 86 (1) (ड) के अधीन याचिका	23.11.2011	28.4.2012
9.	याचिका संख्या 128 / 2011	एच पी पी टी सी एल	————	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन याचिका	1.12.2011	5.1.2013
10.	याचिका संख्या 135 / 2011	हिमऊर्जा	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत अधिनियम 2003 में उपबन्धित धारा 86 (1) (ख) के अधीन विद्युत क्रय अनुबन्ध के	2.12.2012	16.6.2012

				अनुमोदन के अनुमोदन हेतु याचिका		
11.	याचिका संख्या 135/2011	मैसर्ज़ जे पी वी एल	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	वसपा–II जल विद्युत परियोजना से वित्त वर्ष 2003–04 से 2007–08 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को विद्युत विक्रय हेतु वास्तविक शुल्क लगाने हेतु आवेदन/याचिका	8.12.2011	23.4.2012
12.	याचिका संख्या 137/2011	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	————	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62,64 तथा 86 के अधीन नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2014) द्वितीय एम वाई टी आदेश के ए आर आर के प्रथम ए पी आर हेतु	24.12.2011	23.4.2012
13.	याचिका संख्या 29/2010	मैसर्ज़ डी एस एल हाईड्रोवेट लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के विनियम, 6 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 62,94 के अधीन याचिका	23.3.2010	अधिनिर्णय लम्बित

01.04.2012 से पूर्व अधिनिर्णय हेतु 13 मामले लम्बित थे जिन में से 11 मामलों का निपटान किया गया तथा 2 मामले आयोग के अधिनिर्णय के लिए लम्बित है।

6.1.2 विद्युत अपील अधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले

आयोग के कर्मचारी विधि कार्यों से सम्बन्धित टिप्पणियां तैयार करने, विद्युत अपील अधिकरण, उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिकाआ एवं प्रतिशपथ–पत्र तैयार करने को तथा लम्बित मामलों की अद्यतन स्थिति से आयोग को अवगत कराने के साथ–साथ विधिक परामर्श देने अथवा लेने, न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तरों की जांच तथा आयोग के विनियमों को अन्तिम रूप दिए जाने सम्बन्धी कार्य करते हैं। विद्युत अपील अधिकरण, उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत तथा निपटाए गये व लम्बित मामलों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रं० सं०	याचिका संख्या	याचिकादाता	प्रतिवादी	टिप्पणी
1.	याचिका संख्या 111 / 2010	जलशक्ति हाईड्रो पॉवर लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के कारण लम्बित
2.	याचिका संख्या 20 / 2011	मैसर्ज़ उसाका हाईड्रो पॉवर	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के कारण लम्बित
3.	याचिका संख्या 26 / 2011	साराबाई एन्टरप्राईज़	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के कारण लम्बित
4.	याचिका संख्या 06 / 2011	के के के हाईड्रो	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	23.4.2013 को सूचिबद्ध
5.	याचिका संख्या 121 / 2010	डी एस एल हाईड्रो वॉट	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नागरिक समादेश याचिका के कारण विचाराधीन
6.	याचिका संख्या	मैसर्ज़ गिन्नी गलोबल	हिमाचल प्रदेश	माननीय उच्च

	135 / 2010		राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	न्यायालय में लम्बित नागरिक समादेश याचिका के कारण विचाराधीन
7.	याचिका संख्या 139 / 2010	हिम कैलाश हाईड्रो	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नागरिक समादेश याचिका के कारण विचाराधीन
8.	याचिका संख्या 142 / 2010	धर्मशाला हाईड्रो	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नागरिक समादेश याचिका के कारण विचाराधीन
9.	याचिका संख्या 143 / 2010	मैसर्ज़ गौथामी हाईड्रो	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नागरिक समादेश याचिका के कारण विचाराधीन
10.	याचिका संख्या 175 / 2009	निजीविड सीड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नागरिक समादेश याचिका के कारण विचाराधीन
11.	याचिका संख्या 108 / 2010	मैसर्ज़ आस्था हाईड्रो	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश आगामी आदेश तक स्थगित
12.	याचिका संख्या 137 / 2010	मैसर्ज़ मंगलम हाईड्रो	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा

				अन्तरिम स्थगन आदेश आगामी आदेश तक स्थगित
13.	याचिका संख्या 19/2011	जे पी वी एल	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	निपटाने के लिए लम्बित
14.	याचिका संख्या 121/2011	मैसर्ज़ फोर सीजन पॉवर (प्रा०) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य	उच्च न्यायालय के स्थागन आदेश के कारण लम्बित

6.2 वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान जारी विनियम, संशोधन तथा अधिसूचनाएः

6.2.1 विनिमय बनाना तथा विनियमों में संशोधनः

आयोग द्वारा निम्नलिखित संशोधन विनिमय अधिसूचित किए गयेः

01.04.2012 से 31.03.2013 तक विनिमय/संशोधन

क्रं सं	विनिमय तथा संशोधन	जारी करने की तिथि
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा ओमबड्समैन) विनिमय, 2013	23.01.2013
	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के सम्बन्ध में आदेश (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा ओमबड्समैन) विनिमय, 2013	16.01.2013
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा सत्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन तथा शुल्क निर्धारण हेतु शर्ते) विनिमय, 2012	17.12.2012
	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के संदर्भ में आदेश(नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन तथा शुल्क निर्धारण हेतु शर्ते) विनिमय, 2012	18.05.2012
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग(विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी व्यय की वसूली) विनिमय, 2012	

आयोग द्वारा अधिसूचित सभी विनिमय, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.2.2 कोड तथा मानक

आयोग आपूर्ति एवं वितरण कोडों के कार्यान्वयन की दिशा में सदैव सक्रिय रहा है।

6.2.3 अन्य अधिसूचनाएं/आदेश

वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं/आदेश/अनुमोदन जारी किए गये:–

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग(खुली पहुँच प्रभारों का निर्धारण) आदेश, 2012
- औसत जमा खरीद लागत (APPC) आदेश, 16.07.2012 को जारी
- आदर्शक आधारभूत संरचना विकास प्रभार निश्चित करने सम्बन्धी अधिसूचना, 29. 05.2012 को जारी।
- आदर्शक आधारभूत संरचना विकास प्रभार निश्चित करने सम्बन्धी अधिसूचना, 07. 01.2013 को जारी।

6.2.4 विद्युत क्रय अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा (क)(विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत की आपूर्ति) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में निहित प्रावधानों के अधीन शुल्क निर्धारण करना होता है। तद्नुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को राज्य के वितरण लाइसेंसधारी होने के नाते विद्युत उत्पादक कम्पनियों के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त करना वांछित है। वर्ष के दौरान प्राप्त विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन तथा आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण विद्युत क्रय अनुबन्ध की सूची नीचे दी जा रही है:–

(क) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र तंत्र के अधीन (5 मेगा वॉट) क्षमता तक कार्यान्वित विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदिन

क्र.सं	SHEP	संस्थापित क्षमता	स्थान/जिला	उत्पादक कम्पनी का नाम	विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन की तिथि
1	ज़ीराह	4.00	कुल्लू	मैसर्ज कपिल मोहन एण्ड एसोसियेट हाईड्रो एनेज़ीज प्राईवेट लिमिटेड चण्डीगढ़	16.04.2012

2	वालसिओ	5.00	चम्बा	मैसर्ज़ गिन्नी गलोबल लिमिटेड द्वितीय तल शान्ति चैम्बर, 11/6 बी पूसा रोड नई दिल्ली 110005	16.08.2012
3	क्लाथ	1.20	कुल्लू	मैसर्ज़ अपेक्स विज़न पावर लिमिटेड, 702, बसन्त विहार कसुम्पटी, शिमला	05.11.2012
4	क्यूनर	2.00	चम्बा	मैसर्ज़ स्नोडिऊ हाईड्रोटेक पावर प्रोजेक्ट प्रा० लिमेटिड, ग्राम धनोटु, डा० महादेव, तह० सुन्दनगर, जिला मण्डी, हि०प्र०	21.09.2012
5	बिलिंग	0.40	लाहुल तथा स्पीति	हिम ऊर्जा भवन कसुम्पटी शिमला	14.12.2012
6	बलिज का नाला II	3.50	चम्बा	मैसर्ज़ बटोट हाईड्रो पावर लिमिटेड, मुम्बई	
7	बनेर संगम	5.00	कांगड़ा	मैसर्ज़ योगिन्द्रा पावर लिमिटेड ग्राम वे पोस्ट आफिस जलाड़ी तहसील व जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश	15.12.2012

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र तंत्र के अधीन (5 से 25 मेगावाट) क्षमता तक कार्यान्वित विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन

क्र. सं	SHEP	संस्थापित क्षमता	स्थान/ जिला	उत्पादक कम्पनी का नाम	विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन की तिथि
1	अपर जोएनर	12.00	चम्बा	मैसर्ज़ तेजासारनिका हाईड्रों एनेजिज़ लिमिटेड प्लाट न० 71, नव निर्माण नगर, जुब्बली हिल्ज़, हैदराबाद(आंध्र प्रदेश)	07.04.2012
2	सुमेज	14.00	शिमला	मैसर्ज़ रंगा राजु वेयर हाऊसिंह प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट न० 226, रोड न० 78,	07.04.2012

				फेज़, जुबली हिल्ज़, हैदराबाद(आंध्र प्रदेश)	
3	बनेर II	6.00	कांगड़ा	मैसर्ज़ प्रोजेडी हाईड्रो पावर(प्रा०)लिमिटेड 32, 28 क्रास इंडियन के लाऊट बनशंकरी–II स्टेज बंगलोर 560070	11.06.2012
4	तांगणु रोमी– II	6.00	शिमला	मैसर्ज़ तांगणु रोमी पावर जेनेरेशन प्राईवेट लिमिटेड, 105 ए, फेज़ II, सेक्टर III, न्यू शिमला–171009	18.09.2012
5	भराड़ी	6.00	मंडी	मैसर्ज़ साल हाईड्रो पावर (I) प्रा० लिमिटेड, 316, नीलगिरी ब्लाक, आदिन्य एन्कलेन,अमरजीत, हैदराबाद –38	14.12.2012

(ग) अधिमान्य शुल्क के अधीन विद्युत क्रय अनुबन्ध

क्र. सं	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता मे.वा.	जिले का नाम जहां स्थित है	विद्युत उत्पादक कम्पनी का नाम	विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन की तिथि
1	चामुण्डा हाईड्रो विद्युत परियोजना	0.20 मे. वा.	मंडी	मैसर्ज़ चामुण्डा हाईड्रो प्रोजेक्ट, ग्राम व डाकघर गोहर, तह० गोहर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश	30.04.2012

6.2.5 दस्तावेजों की जांच/ उन पर टिप्पणियां

सी.ई.आर.सी.एफ.ओ.आर. भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न दस्तावेजों की जांच की गई तथा उन पर अपनी टिप्पणियां/राय प्रदान की गई।

6.2.6 कास्ट डाटा अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2012–13 के लिए प्रस्तुत ई.ची.वी., एच.वी. तथा एल.टी. उपकरणों सम्बन्धी डाटा बुक की जांच की गई तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

6.2.7 मांग पर आधारित प्रबन्ध तथा कार्यकुशलता

आयोग द्वारा मांग पर आधारित प्रबन्ध तथा ऊर्जा कार्यकुशलता से सम्बन्धित व्यापक योजना तैयार करने की पहल की गई तथा परामर्श सेवाओं का कार्य मैर्सज़ प्राईस वाटर हाऊस कूपर को प्रदान किया गया। जनवरी, 2011 के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा एस.डी.ए. ऊर्जा निदेशालय के अधिकारियों को क्षमता निमार्ण सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्षीय प्रबन्ध) विनिमय, 2011 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में दिनांक 12.10.2011 का अधिसूचित किया गया।

6.2.8 नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक, आयोगों द्वारा विनिमय बनाए गयें तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र के लिए रूप रेखा आदेश जारी किए गये। इस आयोग द्वारा भी केन्द्रीय विद्युत विनियामक, आयोग (पुनः संगठनों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए निबन्धन और शर्ते) विनियम, 2010 अपनाए गये। आयोग राज्य में अनुबन्ध सत्ताधारियों, विशेष रूप से लाइसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय विद्युत अनुबन्ध के अनुपालना की नियमित रूप में संवीक्षा की जा रही है।

6.3 शुल्क सम्बन्धी आदेश

क्र. सं.	विवरण	जारी करने की तिथि
1	वित्त वर्ष 2013 के लिए शुल्क निर्धारण वासपा II के सम्बन्ध में	24.04.2012
2	वसपा –II के सम्बन्ध में पहली एम वाई टी नियंत्रण	23.04.2012

	अवधि (वित्त वर्ष 2009–11) के लिए वास्तविक आदेश	
3	लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सामान्य संतुलित शुल्क	04.02.2013

वित्त वर्ष 2013 के लिए वितरण व्यवसाय सम्बन्धी अनुमोदित ए.आर.आर. का संक्षिप्त विवरण

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	**वित्त वर्ष 2014**
कुल विद्युत क्रय लागत	2522.66
अपने उत्पादन सहित विद्युत क्रय लागत (बैंक विवरणिका का शुद्ध)	2304.18
पी जी सी आई एल प्रभार(पी टी सी से वसूले गये शुद्ध प्रभार)	199.24
एच पी पी टी एल प्रभार	11.92
यु एल डी सी तथा एस टी खुली पहुँच प्रभार	37.32
क्रय कार्यकुशलता के कारण लागत में कमीः घटाकर	30.00
संचालन एवं रख–रखाव लागत	1148.84
कर्मचारियों पर कुल लागत	1070.06
आर एण्ड एम कास्ट	36.45
कुल ए एण्ड जी कास्ट	42.33
ब्याज तथा वित्तपोषण प्रभार	121.19
अवमूल्यन	109.02
इक्विटि से आय	30.24
सार्वजनिक पारस्परिक क्रिया कार्यक्रम	0.00
गैर शुल्क आयः घटाकर	309.20
पूंजीकरण व्ययः घटाकर	48.05
कर्मचारी व्यय का वितरण हेतु पूंजीकरण	45.00

ए एण्ड जी व्यय का, वितरण हेतु पूंजीकरण	3.05
वित्त वर्ष 2014 के लिए ए आर आर	3574.71

6.4 वेबसाईट

सूचना का अधिकार अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियमों के अधीन महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट http://hperc.org में समाविष्ट किया गया है, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में उपभोक्ताओं तथा अन्य लाभार्थियों को सुलभ, विस्तृत प्रचार–प्रसार व पारदर्शिता सहित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

6.5 समाचार पत्र कतरन सेवा

राज्य के भीतर व बाहर विद्युत क्षेत्र में घटित होने वाली अद्यतन गतिविधियों की आयोग को समयक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यालय में दैनिक समाचार पत्र कतरन सेवा आरम्भ की गई है। इन्हें आयोग के अवलोकनार्थ एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

6.6 उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

6.6.1 उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान हेतु फोरम

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उप धारा (5) के साथ पठित धारा (8) के अधीन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण हेतु स्थापित किए जाने वाले फोरम के दिशा निर्देश) विनियम, 2003 अधिसूचित किए गये हैं। विनिम 3, के अधीन वितरण लाईसेंसधारी अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु कसुम्पटी में एक तीन सदस्यीय फोरम स्थापित किया गया है। उपभोक्ता, विद्युत आपूर्ति में कमी अथवा दोष, अनुचित व्यापार पद्वति, लाईसेंसधारी द्वारा विद्युत लाईनों तथा समवर्गी सेवाओं आदि के लिए अधिक प्रभार तथा मूल्य वसूली सम्बन्धी शिकयतों के निवारण हेतु फोरम में शिकायत दायर कर सकता है।

फोरम में कुल तीन सदस्य हैं,जिन में से दो सदस्यों की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा अपने अधिकारियों में से की जाती है जबकि एक स्वतन्त्र

सदस्य आयोग द्वारा नामित किया जाता है। फोरम के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति फोरम के निर्णय के विरूद्ध 40 दिनों की अवधि के भीतर विद्युत ओमबड्समैन के समक्ष अपील दायर कर सकता है। फोरम से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.03.2012 तक 28 शिकायते लम्बित थी तथा वर्ष के दौरान 29 शिकायतें प्राप्त हुई तथा वर्ष के दौरान 43 शिकायतों का निपटारा किया गया, 31 मार्च, 2013 तक 14 शिकयतें लम्बित थी।

6.6.2 विद्युत ओमड्समैन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उपभोक्ताओं की शिकायतों का फोरम द्वारा निवारण न किए जाने अथवा उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए निर्णय के विरूद्ध उपभोक्ता अपना प्रतिवेदन विद्युत ओमबड्समैन को प्रस्तुत कर सकता है तथा विद्युत ओमबड्समैन शिकायतों पर सहमति, समझौता अथवा मध्यस्थता अथवा विनियमों के अनुसार निर्णय देकर मामलों का निपटारा कर सकता है। ओमबड्समैन को उक्त विनियम की धारा 11, 12 तथा 13 के अधीन विवादों की सहमति व अधिनिर्णय देकर उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने की शक्तियां प्रदान की गई है। विद्युत ओमबड्समैन को प्रस्तुत किसी भी शिकयत के सम्बन्ध में इसकी प्राप्ति की तिथि से तीन मास की अवधि के अन्दर अपना अधिनिर्णय देना होगा तथा उसका अधिनिर्णय दोनो पक्षों को 30 दिन की अवधि के भीतर स्वीकार करना आवश्यक होगा। किसी अधिनिर्णय, अनुबन्ध तथा आवेदन के कार्यान्वयन न होने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति आयोग से सम्पर्क स्थापित कर सकता है तथा आयोग इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगा। 31 मार्च, 2012 को श्री बी.एस. बक्शी विद्युत ओमबड्समैन के रूप में कार्याभार सम्भाल रहे थे। ओमबड्समैन की रिपोर्ट के अनुसार 01.04.2012 तक विद्युत ओमबड्समैन के पास 13 मामले लम्बित थे। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान 12 अतिरिक्त प्रतिवेदन/याचिकाएं प्राप्त हुई जिन में से 9 याचिकाओं का 31.03.2013 तक निपटारा किया जा चुका है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को कुशल, विश्वसनीय तथा विद्युत की गुणवता वाली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा वितरण निष्पादन मानक विनियम, 2010 अधिसूचित किए गये हैं, जिसमें फयुज आफ/फाल्ट कॉल्ज, ओवरहैड लाईन, केबल ब्रेक डॉऊन, खराब वितरण ट्रांसफारमों को बदलना, मीटर सम्बन्धी शिकायतें, बन्द/खराब तथा जले हुए मीटर बदलना, मीटर/सेवा लाईनों को स्थानांनतरित करना, बोल्टेज समस्या, शैडयूलट ऑउटेजिज आदि जैसी उपभोक्ता सम्बन्धी सेवाओं

को विनिर्दिष्ट किया गया है। इन विनियमों में उपभोक्ताओं तथा फिल्ड स्टाफ की सुविधा के लिए वितरण लाईसैंसधारी द्वारा ''उपभोक्ता शिकायत निवारण नियमावली पद्वति'' बनाने तथा इसे प्रकाशित करने का प्रावधान भी समाविष्ट है। यदि वितरण लाईसैंसधारी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट निष्पादन मानको को पूरा करने में असफल होता है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उन्हें पहुँची हानि के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति हेतु आयोग के समक्ष मामला दायर कर सकते हैं।

6.7 समन्वय फोरम की सदस्यता

अन्य युटिलिटीज के साथ गतिशील तालमेल तथा विनियामकों द्वारा समान सुधार नीति अपनाने के लिए आयोग निम्न स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपनी सदस्यता के माध्यम से सक्रिय रूप से सम्बद्ध होता हैः–

6.7.1 आधारभूत संरचना विनियम के लिए दक्षिण एशिया फोरम (SAFIR)

अन्तर्राष्ट्रीय युटिलिटी विनियमन फोरम के अधीन कार्यरत आधारभूत संरचना विनियम हेतु दक्षिण एशिया फोरम मई, 1999 को विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया जिसके अन्तर्गत बंगलादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत तथा पाक्स्तिान के आधारभूत संरचना, विनियामकों का नेटवर्क शामिल है। इसके अन्तर्गत विद्युत, प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, जल, परिवहन आदि क्षेत्र शामिल हैं। इसके उद्देश्यों में अनुसंधान, विनियामक सुधार प्रक्रिया तथा अनुभव से सम्बन्धित डाटा बैंक उपलब्ध करना तथा ज्ञान एवं प्रवीणता का लाभकारी आदान–प्रदान आरम्भ करना सम्मिलित है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर फोरम की बैठक में भाग लिया गया।

6.7.2 भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR)

भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR) एक पंजीकृत संस्था है जिसका गठन फरवरी, 2000 में किया गया था। इसकी सदस्यता शुल्क पर आधारित है। FOIR का उद्देश्य विनियामक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता विकसित करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा, उपभोक्ता समयक संस्थाओं का विकास, विनियामक संस्थाओं, यूटिलिटिज व अन्य लाभार्थियों में मानवीय तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास, विनियामक विधियों तथा प्रथा को सूचनात्मक आधार प्रदान करना, विनियामक मितव्ययता, स्वतन्त्र विनियामक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है। भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR) की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होती है, जिसमें विभिन्न मामलों में विचार–विमर्श किया जाता है। फोरम के सदस्य शासकीय निकाय में

अवैतनिक हैसियत से नियुक्ति के पात्र हैं। शासकीय निकाय को सचिवालय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। FOIR की सर्वोच्चसता सामान्य निकाय में निहित है जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार सम्भ्वतः जून माह में होती है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय–समय फोरम की बैठको में भाग लिय गया।

6.7.3 विनियामको का फोरम (FOR)

भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 (2) के उपबन्धों के अधीन विनियामकों का फोरम गठित किया गया था। विद्युत क्षेत्र में अधिकतर निश्चितता प्राप्त करने के उद्देश्य से फोरम पूरे देश में तालमेल स्थापित करके विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यो में एकरूपता लाने की दिशा में कार्य करने हेतु उत्तरदायी है। फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) के अध्यक्ष तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERCS) के अध्यक्ष शामिल हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष इस फोरम के अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान विनियामकों के फोरम (FOR) की कम से कम दो बैठक होगी आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर फोरम की बैठको में भाग लिया गया।

6.7.4 उत्तरक्षेत्रीय विद्युत विनियामक फोरम (NRFER)

एच.पी.ई.आर.सी., जे.के.ई.आर.सी., एच.ई.आर.सी., पी.ई.आर.सी., डी.ई.आर.सी., यु.पी.आर. सी., जे.ई.आर.सी., यू.ई.आर.सी. जैसे उत्तरी क्षेत्र के विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्षों द्वारा उत्तरी क्षेत्र के राज्यों से सम्बन्धित सामान्य विनियमन हेतु एक तालमेल फोरम स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। एन.आर.एफ.ई.आर. का पंजीकृत कार्यालय हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के पंचकुला स्थित कार्यालय में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही यह भी प्रस्तावित था कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग के वरिष्ठतम अध्यक्ष एन.आर.एफ.ई.आर. (NRFER) के अध्यक्ष होंगे। एच.ई.आर. सी. के सचिव इसके सचिव होंगे। सामान्य निकाय तथा कार्यकारी समिति की बैठकें छः महीनें में कम से कम एक बार इसके मुख्यालय अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बारी–बारी से आयोजित की जायेगी। कार्यकारी समिति में 9 नामित सदस्य होंगे। (NRFER) का उद्देश्य उत्तरक्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत मुख्यतः विनियामक तंत्र से सम्बन्धित विभिन्न मामलों में साझेदारी, उपभोक्ता हित तथा उनकी हिमायत, शिकायत निवारण तंत्र के सम्बन्ध में स्वैच्छिक संस्थाओं में जागरूकता विकसित करना, विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान तथा अध्ययन आरम्भ करना, समान क्षेत्रीय हितों सम्बन्धी सूचनाओं का आदान–प्रदान तथा मानवीय एवं संस्थागत क्षमता निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

6.8 कम्प्यूट्रीकरण

आयोग के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी क्षमता तथा संगति के दृष्टिगत डेस्कटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध करवाए गये हैं। इन्हें स्थानी क्षेत्र नेटवर्क (LAN) के साथ जोड़ा गया है ताकि सूचना का आदान–प्रदान प्राथमिकता तथा विश्वसनीय रूप में बिना कागज़ के प्रयोग से किया जा सके। कार्यालय में आवश्यक पेरिफेरियल हार्डवेयर सहित मानक सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करवाए गये हैं।

6.9 पुस्तकालय

आयोग से सम्बन्धित पुस्तकें, विधिजर्नल तथा अन्य दस्तावेज अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 के दौरान आवश्यकतानुसार समय–समय पर पुस्तकालय के लिए क्रय किये गयें।

अध्याय–7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति निमार्ण या कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श अथवा उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

आयोग द्वारा अपने आवश्यक कार्यो के निवर्हन हेतु अधिनियम में ऐसे कार्यो के निष्पादन हेतु विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, परन्तु उसके द्वारा बनाये जाने वाले विनियामक प्रारूप उपबन्धों को अन्तिम रूप दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व प्रकाशन प्रक्रिया अपना कर आम जनता के सुझाव लेने होंगे, तथा ऐसे विनिमय, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण के अध्याधीन होंगे। आयोग द्वारा अपने सभी प्रकार के कृत्यों के सम्बन्ध में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को अपनाते हुए सभी को सुनने के अवसर प्रदान करने होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं के अधिकतम वर्गो के विचारो तथा हितों की उचित पैरवी हो रही है, आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता श्री पी.एन. भारद्वाज को आयोग की कार्यवाही के दौरान उपभोक्ताओं के हितों को प्रस्तुत करने हेतु उनके प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है।

अध्याय–8

सलाह प्रदान करने हेतु गठित समितियां तथा अन्य निकाय

राज्य आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 87 के अधीन समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया। 31.03. 2013 को राज्य सलाहकार समिति के 21 सदस्य हैं जैसा कि परिशिष्ट–IV पर दर्शाया गया है। समिति के सदस्य वाणिज्य, कृषि, उपभोक्ता, गैर सरकारी संगठन तथा विद्युत उद्योग जैसे हित समूहों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं। राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सचिव भी समिति के पदेन सदस्य हैं। आयोग के अध्यक्ष राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा आयोग के सचिव समिति के भी सचिव हैं। राज्य सलाहकार समिति की बैठकों के कार्यवृत आम लोगों को उपलब्ध नहीं करवाए जाते।

अध्याय–9

विभागों तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं का संक्षिप्त पर्यवलोकन

9.1 हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन विद्युत आपूर्ति अधिनियम, (1948) के उपबन्धों के अधीन 1971 में किया गया था। तत्पश्चात बाड़ नियंत्रण तथा लघुसिंचाई कार्य के अतिरिक्त बहु–उद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत विभाग के समस्त कार्य जैसे विद्युत उत्पादन, जलविद्युत परियोजनाओं का निष्पादन कार्य बोर्ड को स्थानान्तरित किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण का कार्य 10 जून, 2010 तक किया गया जब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131(2), 132, 133 तथा अन्य प्रयोज्य उपबन्धों के अधीन विद्युत उत्पादन, वितरण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को विद्युत विपणन सम्बन्धी स्थानान्तरित किए गये तथा हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर रिफोंम स्कीम, 2010 के अधीन विद्युत की संचारण द्वारा निकासी सम्बन्धी कार्य हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कम्पनी लिमिटेड को स्थानान्तरित किए गये। राज्य

क्षेत्र में नये परियोजनाओं के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही एक पृथक उत्पादन कम्पनी की स्थापन की जा चुकी थी।

अधिनियम के उपबन्धों क अध्याधीन, दिनांक 15 जून, 2009 को जारी अधिसूचना संख्याः एम पी पी–ए(3)–1/2001–IV के अनुसार कार्य, परिसम्पत्तियां, सम्पतियां, अधिकार, दायित्व, भार, कार्यवाहियां तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के कर्मचारी हिमाचल प्रदेश सरकार में निहित किए गये। इसके साथ ही अधिनियम के उपबन्धों के अधीन,'हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार स्थानान्तरण स्कीम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्याः एम पी पी–ए(3)–1/2001–IV दिनांक 10 जून, 2010 के अनुसार उपरोक्त कार्य, परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, अधिकार आदि जो पूर्व में सरकार में निहित थे, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाने जानी वाली नई सत्ताओं में पुनः निहित की गई। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड विद्युत उत्पादन, विद्युत संचारण एवं वितरण सम्बन्धी कार्यो को उसमें पुनः निहित करने के उद्देश्य से काग्र करने हेतु 10 जून, 2010 को अस्तित्व में आया। विद्युत अधिनियम, 2003 भी धारा 14 के प्रथम उपबन्ध अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड हिमाचल प्रदेश में विद्युत वितरण तथा आपूर्ति के सम्बन्ध में एक मान्य लाइसैंसधारी है।

पुनर्गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश में विद्युत वितरण का कार्य सौंपा गया है। अतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश राज्य में विपणन के साथ–साथ विद्युत वितरण प्रणाली के विकास, (नियोजन, रूपांकन तथा निमार्ण) संचार तथा रख–रखाव का दायित्व सौंपा गया है। राज्य का नई विद्युत उत्पादन क्षमताओं की पहचान तथा अन्वेषण का कार्य भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सौंपा गया है। तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के उत्पादन केन्द्रों का स्वामित्त्व तथा संचालन का रख रखाव भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सौंपा गया है तथा वह राज्य क्षेत्र में नए उत्पादन परियोजनाओं के निष्पादन कार्य को भी जारी रख सकता है यदि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें आबंटित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों में भी विद्युत की भागीदारी है जबकि वह राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पड़ोसी राज्यों से भी विद्युत बोर्ड के संचालन, रख–रखाव तथा वितरण सम्बन्धी कार्य,'उत्तर', 'मध्य', तथा 'दक्षिण' नामक तीन संचालन प्रभागों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रत्येक इ एच वी प्रभाग(पद्धति संचालन प्रभाग से नामित)

मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्य करता है। तीनों संचालन प्रभागों के अन्तर्गत 12 संचालन वृत्त शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अधीन आने वाले भौगोलिक क्षेत्र, राज्य के 12 जिलों के सुनिश्चित क्षेत्र के अनुसार नहीं हैं। विकट भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु एवं बिखरे और दूरदराज के क्षेत्र में बसने वाली जनसंख्या के बावजूद राज्य द्वारा शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्र में सन् 1988 में शत्प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

9.2 हिमाचल प्रदेश पावर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश में विद्युत संचारण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय के उपबन्धों के अधीन एक मान्य लाइसेंसधारी है। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड का गठन, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा अपनी अधिसूचना संख्याः एम पी पी–ए–(1)4/2006–लूज दिनांक 11 सितम्बर, 2008 को अधिसूचित आदेश द्वारा किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर को जारी पूर्व अधिसूचना के साथ पठित अधिसूचना संख्या एम पी पी–ए–(1)4/2006–लूज दिनांक 3 दिसम्बर, 2008 के द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कार्य/व्यवसाय सौंपे गये थेः

1. 66 के वी तथा इससे ऊपर की क्षमता वाले उप–स्टेशनों के सभी प्रकार के नये कार्य।
2. 66 के वी तथा इससे ऊपर की क्षमता वाली संचारण लाईनों के निमार्ण/ बिछाने सम्बन्धी सभी नये कार्य।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा योजना के अधीन वित्त–पोषण हेतु वित्तीय संस्थाओं, जिनके साथ अभी तक ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किए गये हैं, नये कार्यो सहित संचारण–तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा विद्युत की निकासी हेतु राज्य के लिए संचारण मास्टर योजना का निमार्ण, आधुनिकीकरण तथा निष्पादन।
4. सी टी यू, सी इ ए, ऊर्जा मंचालय, राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ संचारण सम्बन्धी योजना तथा समन्वय सम्बन्धी सभी मामले।
5. संचारण सम्बन्धी सभी मामलों में आई पी पी एस/ सी पी एस यू/ राज्य पी एस यू/ अन्य विभागों अथवा संगठनों अथवा केन्द्र तथा राज्य सरकार की एजेन्सियों, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के साथ योजना बनाना तथा समन्वय स्थापित करना।

6. अन्य मामला सम्बन्धी सभी विषय जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निगम को सौंपे जाएं।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने दिनांक 10 जून, 2010 के आदेश के द्वारा राज्य संचारण युटिलिटी घोषित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आयोग द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2010 को जारी अपने आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को एक मान्य ''संचारण लाइसेंसधारी'' के रूप में मान्यता प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2011 से पूर्व संचारण शुल्क, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पर लागू होने वाली शुल्क आदेश के एक भाग के रूप में निर्धारित किया जाता था।

पावर ग्रिड ऑफ इंडिया द्वारा स्वामित्त्व प्राप्त तथा संचालित लाईनों के समन्वय, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा पावर कोम (पंजाब राज्य बिजली बोर्ड) सहित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के स्वामित्त्व वाली 66 के वी तथा इससे ऊपर की क्षमता वाली संचारण लाईनों का संचालन एवं रख–रखाव राज्य सरकार द्वारा जारी अपनी समसंख्या दिनांक 10 जून, 2010 के साथ पठित पूर्व अधिसूचना सहित अपनी अधिसूचना संख्या एम पी पी–ए(3)–1/2001–IV दिनांक 21 जून, 2010 के द्वारा इनका स्वामित्त्व भी हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को स्थानान्तरित किया गया।

9.3 हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से सम्बन्धित जल विद्युत के सभी पहलुओं के विकास, योजना, प्रोत्साहन तथा संगठन के उद्देश्य से दिसम्बर, 2006 में हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड निगमित किया गया। हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड में हिमाचल प्रेदश सरकार की 60% तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की 40 प्रतिशत भागीदारी है।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड का लक्ष्य है मेगावाट कि मार्च, 2017 तक 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता तथा वर्ष 2022 तक 5000 में वा विद्युत उत्पादन का दोहन किया जाए ताकि विद्युत उत्पादन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की खुशहाली में योगदान प्रदान किया जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में 450 मेगावाट शोंगटोंग कड़छम, 100 मेगावाट सैंज, 111 मेगावाट सावड़ा कुड्ड, 243 मेगावाट

काशंग, 42 मेगावाट चिढ़गांव मझगांव तथा 40 मेगावाट रेणुका जी जैसी विभिन्न परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों पर निष्पादन कार्य चल रहा है।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के समक्ष यह चुनौती है कि वह अपनी सभी प्रकार की तकनीकी तथा संगठनात्मक क्षमताओं का विकास करके एन.टी पी.सी, एन. एच.पी.सी तथा एस.जे.वी.एन.एल जैसी ख्यातिप्राप्त उत्पादन कम्पनियों के समकक्ष एक विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप मे विकसित करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग्य तथा ख्यातिप्राप्त तकनीकि मानवशक्ति के द्वारा विभिन्न विभागों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जल विद्युत विकास के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड युष्मीय, ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत मुख्यतः सौर ऊर्जा, जैसी अन्य विद्युत विकास गतिविधियों के क्षेत्र में भी अपने कार्य में विविधता लाने का इच्छुक है। इसका उद्देश्य है कि राज्य की प्रगति एवं खुशहाली के दृष्टिगत, विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने, पर्यावरण तथा पारिस्थितिक सन्तुलन सुनिश्चित करते हुए ऊर्जा परियोजनाओं के सुनिश्चित कार्यान्वयन हेतु एक दीर्घकालीन निगमित योजना तैयार की जाए।

9.4 हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी

हिमाचल प्रदेश में राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र की स्थापना सन् 2002 में की गई थी तथा उसी समय से इसका संचालन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड) द्वारा किया जाता रहा है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के साथ ही राज्य में उत्पादन तथा संचारण को प्रतिस्पद्धात्मक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न युटिलिटी स्थापित की गई, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड वितरण व्यवसाय में राज्य में एक मात्र युटिलिटी का कार्य करता रहा। राज्य संचारण युटिलिटी के स्वामित्त्वाधीन पूर्व में वर्गीकृत अन्तरराज्यीय संचारण लाईनें, एच वी/ई.एच.वी. अब हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के स्वामित्व में है, जिन्हें अब एच.वी/ई.एच.वी संचारण लाईनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः क्षेत्र के अन्य कई राज्य जहां राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्य राज्य संचारण युटिलिटी को सौंपे गये हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह कार्य अन्यथा रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पास ही रखे गये हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्यों एवं कत्तव्यों के कुशल एवं प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश विद्युत

विनियामक आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को निर्देश दिए गये हैं कि राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र को स्वतंत्र रूप में कार्य करने हेतु कार्यशील स्वायत्तता प्रदान की जाए।

इसी के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने आदेश एम पी पी–बी (13)–2/2010 दिनांक 8.11.2010 के अधीन राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र को एक स्वतन्त्र सता प्रदान करने के उद्देश्य से ''हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी'' की स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों की सेवाए दिनांक 17 जून, 2012 से सेकेन्डमेन्ट आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी को प्रदान की गई है। अतः हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी द्वारा दिनांक 17 जून, 2012 से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीन कार्यरत हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र का कार्य अपने हाथ में ले लिया है।

तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एक मात्र डी आई एस सी ओ एम होने के नाते तथा उसके द्वारा एक लम्बी अवधि तक राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र का कार्य किए जाने वाले दोनों कारणों से राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी को स्थानान्तरित करने में जटिलता उत्पन्न हुई। हिमाचल प्रदेश में अपनाए गये राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र (हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी के साथ) तथा ए एल डी (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) की एक मात्र समन्वित पहल से परिवर्ती चरण में कठिनाई होने की सम्भावना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ए एल डी सी तथा हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी की सुविधाएं एक ही परिसर में अवस्थित हैं ; राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्य संचालन हेतु वांछित आवश्यक परिसम्पतियां अभी तक भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी को स्थानान्तरित नहीं की गई है।

इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी की आवश्यक आधारभूत संरचना तथा मानव संसाधन उपलब्ध करवाए जायें ताकि वह अधिनियम के अधीन अपने कार्यो एवं कत्तव्यों का निवर्हन कर सके। इसके साथ ही, जल विद्युत परियोजनो के क्षेत्र में आई अत्याधिक वृद्धि तथा राज्य के उपभोक्ताओं द्वारा खुली पहुँच की ओर प्रवृत होने के कारण राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र की भूमिका

और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अधिनियम के अधीन इसे ऊर्जा प्रणाली समन्वित के संचालन हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में नियुक्त किया गया है।

9.5 ऊर्जा निदेशालय (DOE)

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सन् 2009 में जल विद्युत विकास तथा परियोजना कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी मामलों के समाधान हेतु ऊर्जा निदेशालय की स्थापना एक एकाकी सम्पर्क स्थल के रूप में की गई। ऊर्जा निदेशालय के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है :–

1. राज्य की आपार जल विद्युत सम्भावना के सर्वोत्तम दोहन, विकास तथा प्रोत्साहन हेतु निदेश जारी करना तथा प्रेरक ढांचा उपलब्ध कराना।
2. कार्यक्रमों/नीतियों का समन्वय/सुविधाएं प्रदान करना ताकि ऊर्जा के संरक्षण के साथ–साथ इसका कुशल प्रयोग भी किया जा सके।
3. राज्य की मुफ्त/इक्वटी विद्युत की बिक्री द्वारा अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना। ऊर्जा निदेशालय राज्य के विद्युत विकास क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों द्वारा अपना सहयोग प्रदान कर रहा है :–

i हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का आबंटन।

ii परियोजनाओं के कार्यान्वयन की संवीक्षा।

iii टेक्नो इकोनोमिक क्लीयरेन्स प्रदान करना।

iv हिमाचल प्रदेश के विद्युत भाग का विक्रय।

v ऊर्जा परिरक्षण तथा कार्यकुशलता उपायों को प्रोत्साहित करना।

vi जल विद्युत संयत्रों की गुणवता तथा सुरक्षा पहलुओं की संवीक्षा।

9.6 हिम ऊर्जा

हिमाचल प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम/स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु हिम ऊर्जा राज्य की नोडल ऐजेंसी है। इसके द्वारा राज्य/केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग में सहायता प्रदान की जा रही है। भारत सरकार के एम एन आर इ द्वारा हिमाचल प्रदेश को मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता हेतु विशेष श्रेणी राज्य घोषित किया गया है। हिमऊर्जा के कार्य निम्नलिखित है :–

1. सौर ऊर्जा साधनों का प्रापण, उपलब्धता एवं उनकी स्थापना।
2. विभिन्न उपलब्ध स्कीमों के अधीन भारत सरकार के एम एन आर इ को परियोजना मोड के अधीन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजना।

3. भारत सरकार के जे एन एन एस एम तथा एम एन आर इ की अन्य स्कीमों के अधीन लाभान्वितों को उपदान प्रदान करवाना।
4. राज्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति तैयार करना तथा राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के प्रयोग, प्रोत्साहन तथा विकास हेतु नीति अपनाना।
5. हिमऊर्जा एम एच इ पी से विश्वसनीय तथा गुणवता वाली निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चत करना।
6. विद्युत परियोजनाओं की पहचान तथा आबंटन के लिए पारदर्शी नीति बनाना।
7. निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी द्वारा लघु जल विद्युत सम्भावनाओं का दोहना।
8. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्देशो के अनुसार विद्युत परियोजनाओं में हिमाचलियों को राजगार सुनिश्चित करना।
9. एस सी एस पी के अधीन अनुसूचित जाति बहुल गांवों में एस पी वी स्ट्रीट लाईटे लगाना सुनिश्चित करना।
10. ऊर्जा के सभी नवीन एव नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के सम्बन्ध में संसाधन मूल्याकंन तथा सम्भावनाओं के अनुमान के बारे अध्ययन करना।
11. स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों को उपदान के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी मामलों का संचालन करना।
12. टेक तथा इन्टरकनैक्शन प्वांइट के अनुमोदन हेतु एच पी टी सी एल तथा डी ओ ई, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सुविधएं प्रदान करना।
13. वैधानिक तथा गैर वैधानिक क्लीयरेन्स प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों से सम्पर्क करना।
14. नवीकरणीय ऊर्जा उपायों के सम्बन्ध में धन उपलब्ध करवाने बारे जनजातीय विभाग तथा समाजिक न्याय विभाग के साथ सम्पर्क स्थापित करना ।
15. विभिन्न सरकारी विभागों स्वंतन्त्र विद्युत उत्पादको के साथ समन्वय स्थापित करना तथा परियोजनों को शीघ्र पूरा कनरे की संवीक्षा करना।
16. नवीकरणीय ऊर्जा साधनों को लोकप्रिय बनाने तथा उनके विकास हेतु विभिन्न साधनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

9.7 मुख्य विशेषताएं

9.7.1 उत्पादन

हिमाचल प्रदेश में कुल 23000 मेगावाट जलविद्युत सम्भावना चिन्हित की गई है। हिमाचल प्रदेश को देश में जलविद्युत राज्य का दर्जा हासिल करने तथा राज्य में

उपलब्ध अपार जलविद्युत सम्भावना के दोहन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा, राज्य, केन्द्र, संयुक्त तथा निजी चारों को शामिल करके एक नीति अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 5 मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं को राज्य तथा निजी क्षेत्र के अधीन कार्यान्वयन हेतु हिमऊर्जा को सौपें गये हैं। 23000 मेगावाट चिन्हित जल विद्युत सम्भावना में से 9437.47 मेगावाट विद्युत दोहन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा 12408.99 मेगावाट औसत क्षमता विभिन्न क्षेत्रों के अधीन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। 992.5 मेगावाट सम्भावना क्षमता विवादाधीन अथवा रद् की गई है, जबकि 755 मेगा वाट सम्भावना पर्यावरण के अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी गई है।

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के अधीन जलविद्युत विकास की स्थिति का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः–

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की स्थिति

क्रं सं	क्षेत्र		चालू	निर्माणाधीन	क्लीयरेन्स प्राप्त	जांच के अधीन	विवादास्पद रद् की गई	छोड़ दी गई	कुल योग
			क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में
1.	हिमऊर्जा	राज्य	2.37	0.00	61.55	1.50	0.00	0.00	65.42
2.		निजी	225.25	165.45	611.02	233.47	0.00	0.00	1235.19
3	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	5 मे. वा तक	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60
4.		› 5 मे. वा.	451.95	110.00	0.00	70.50	6.00	0.00	638.45
5.	एच पी पी सी एल			856.00	1285.00	963.00	0.00	20.00	3124.00
6.	केन्द्रीय तथा संयुक्त		5743.73	2532.00	66.00	588.00	0.00	0.00	8929.73
	यमुना परियोजना		131.57						131.57
7.	श्रंजीत सागर डैम (हिमाचल का भाग)		27.60						27.60
8.	निजी		1829.40	746	844.40	3274.50	986.50	735.00	8416.40
योग			**8437.47**	**4410.05**	**2867.97**	**5130.97**	**992.50**	**755.00**	**22593.96**
विचाराधीन शेष सम्भावना									**406.04**
कुल योग									**23000.00**

9.7.2 नेटवर्क

अन्तरंग राज्य संचारण एवं वितरण नेटवर्क के अन्तर्गत 220 के वी, 132 के वी, 66 के वी, 33 केवी, 11 केवी तथा 0.4/0.23 के वी बोल्टेज समाविष्ट है। नेटवर्क के अधीन विभिन्न बोल्टेज स्तरों के अन्तर्गत लगभग 92870 किलोमीटर लम्बी विद्युत लाइनो का नेटवर्क शामिल है। बोल्टेज बार लाइनों की लम्बाई तथा वितरण रूपान्तरण क्षमता का विवरण निम्न प्रकार से है :–

इ एच टी लाइन की लम्बाई

220 के वी	132 के वी	66 के वी	कुल
422.49 के वी	1419.22 कि. मी.	405.12 कि. मी.	2246.8 कि. मी.

एच टी लाइन की लम्बाई

33 के वी	22 के वी	15 के वी	11 के वी	2.2 के वी	योग
3007.68 कि. मी	6865.87 कि. मी.	105.41 कि. मी.	20931.37 कि. मी.	48.27 कि. मी.	30958.60 कि. मी.

एच टी लाइन की लम्बाई तथा वितरण रूपान्तरण क्षमता का विवरण

एल टी लाइन (0.4/02 के वी	वितरण उप–केन्द्र	
	संख्या	के वी ए
59664.32 कि. मी.	25128	2144003.3

संचारण / वितरण नेटवर्क के पोषण हेतु कुल 38 इ एच वी उप–केन्द्र हैं। राज्य के कुछ भागो की विकट जलवायु स्थिति तथा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित इतने बड़े नेटवर्क का रख–रखाव एक चुनौती भरा कार्य है। राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित जल विद्युत उत्पादन केन्द्रो से बिजली की निकासी तथा बिजली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु नेटवर्क को उन्नतिशील बनाया जाना आवश्यक है।

9.7.3 वितरण

हिमाचल प्रदेश में सन् 1981 की जनगणना के अनुसार वर्ष 1988–89 (जून 1988) के दौरान 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया था। तत्पश्चात्, मैसर्ज़ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा बदल दी गई थी। 2001 की जनगण्ना के अनुसार मार्च, 2013 के अन्त तक कुल 17495 गांवो में से 17483 गांवो का विद्युतिकरण के लिए उपायुक्त नहीं है क्योंकि वे बिना आबादी वाले अस्थाई गांव है जो घने जंगलों में स्थित हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा हैमलटों के विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ किया गया जिसके अधीन मार्च 2013 तक 4047 (चिन्हित) + 64 (गैर चिन्हित) हैमलटों का विद्युतीकरण किया गया।

इस समय कुल 20.88 लाख उपभोक्ता हैं, तथा कनैक्टिड लोड 56,10,205 किलोवाट है। इन उपभोक्ताओं को 33,205 किलो मीटर एच टी तथा 59,664 किलो मीटर एल टी लाइनों के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति प्रदान की जा रही है। 25,128 वितरण उप–केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 21,44,003 किलोवाट है। वर्ष 2012–13 के दौरान संचारण तथा वितरण क्षतियों का स्तर 13.62 प्रतिशत रहा।

9.7.4 खपत तथा उपलब्धता

राज्य में वर्ष 2012–13 के दौरान उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा कुल 7223.51 मि. यु. विद्युत का प्रयोग किया गया तथा अधिकतम मांग 1360 मेगावाट रही। सर्दी के महीनों में अधिक ऊर्जा की मांग रहती है जबकि इस समय जलविद्युत उत्पादन कम रहता है। कुल मिलाकर राज्य में विद्युत उत्पादन अधिक रहता है तथापि सर्दियों के महीनों में वितरण लाइसेंसधरी (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) के पास बिजली की कमी रहती है, तथा गर्मियों के महीनों में इसके पास विद्युत की अतिरिक्त मात्रा रहती है। गर्मियों के महीनो में अतिरिक्त विद्युत पडोसी राज्य में जमा की जाती है तथा सर्दियों में इसे उनसे प्राप्त किया जाता है क्योंकि इस समय लाइसेंसधारी के पास बिजली की कमी रहती है। राज्य सरकार का विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाग है तथा इसके साथ ही नाथपा झाकड़ी जैसी जल विद्युत परियोजना में भी इसकी इक्वटी भागीदारी है। राज्य को, राज्य में स्थित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से भी 12 % मुफ्त बिजली प्राप्त होती है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड अपनी आवश्ययकता की पूर्ति उपरोक्त साधनों, अपने जल विद्युत स्टेशनों तथा भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड एवं भागीदारी वाले अन्य उत्पादन केन्द्रों से प्राप्त विद्युत के द्वारा करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 978 युनिट थी जो 2012–13 के दौरान बढ़कर 1052 युनिट हो गई इस प्रकार इसमें 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य में लगभग 60% का विद्युत उपयोग उद्योगों द्वारा किया जाता है, इसके

पश्चात् घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 22% विद्युत का उपयोग किया जाता है। तीन वर्षों के दौरान वर्गों के अनुसार ऊर्जा के उपयोग तथा वृद्धि दर का विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ग	वित्त वर्ष 2010–11	वित्त वर्ष 2011–12		वित्त वर्ष 2012–13	
	खपत (मि. यु)	खपत (मि. यु)	वृद्धि दर	खपत (मि. यु)	वृद्धि दर
घरेलू	1282.8	1407.29	9.73%	1618.45	15%
गैर घरेलू गैर वाणिज्यिक	89.54	98.55	10.06%	106.82	8.39%
वाणिज्यिक	356.53	387.2	8.60%	408.82	5.56%
सार्वजनिक रोशनी	12.55	12.89	2.71%	13.91	7.91%
लघु विद्युत	59.46	58.42	–1.75%	61.48	5.25%
मध्यम विद्युत	142.5	139.64	–2.01%	144.69	3.62%
वृहद् आपूर्ति	3993.71	4116.5	3.07%	4173.16	1.38%
जल पम्पिग तथा सिचाई आपूर्ति	445.09	476.14	6.98%	500.6	5.14%
अस्थाई	26.64	28.56	15.91%	25.09	–9.31%
बहुल आपूर्ति	235.61	192.88	–18.14%	169.78	–11.98%
कुल ऊर्जा	**6642.13**	**6918.07**	**4.15%**	**7223.52**	**4.42%**

अध्याय–10

आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका

वर्ष 2012–13 के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका अनुच्छेद–1 पर दशाई है।

अध्याय–11

आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक

11.1 आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कुल वेतन का विवरण, 31–03–2013 अथवा उनके द्वारा आयोग में अन्तिम मास तक कार्य करने की स्थिति के अनुसार अनुच्छेद–II पर दिया गया है।

11.2 आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सरकार द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी
वर्ग के लिए अनुमोदित वेतन तथा भत्ते प्रदान किए जा रहे हैं, ऐसे मामलो को छोड़कर जिनके बारे में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड पर आधारित वेतनमान सरकार द्वारा संरक्षित किए गये हों। तथापि हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश विद्युत
बोर्ड लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से आयोग द्वारा स्केन्डमेन्ट आधार पर लिए गये कर्मचारियों, जिनके वेतनमान तथा भत्ते हिमाचल प्रदेश सरकार से पृथक हैं के सम्बन्ध में वही वेतनमान तथा भत्ते दिए जा रहे हैं जो कि उन्हें अपने सम्बन्धित संगठनों में देय थे।

अध्याय–12

आयोग द्वारा अपने कार्य निष्पादन हेतु अपनाए अथवा धारित नियम, विनियम, नियमावलियां निर्देशन तथा अभिलेख।

12.1 नियम, विनियम तथा निर्देशन :

उपनाए आयोग तथा इसके कर्मचारियों द्वारा अपने नैत्यिक कार्यों के निर्वहन हेतु जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिनियम, नियम तथा विनियम निम्न हैं :–

1. विद्युत अधिनियम, 2003
2. विद्युत नियम, 2005
3. विद्युत नीति
4. शुल्क नीति
5. सी. ई. आर. सी. विनियम तथा आदेश
6. आयोग द्वारा वर्ष के दौरान समय–समय पर बनाएं गये विभिन्न विनियम/संशोधन/अन्य अधिसूचनाएं/आदेश

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्षीय प्रबन्धन) विनियम, 2011

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण निष्पादन मानक)
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत व्यापारी बनने के लिए पात्रता शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व तथा इसकी अनुपालना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति राशि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुँच प्रभारों का निर्धारण) आदेश, 2011
- औसत पूल्ड क्रय लागत (ए पी पी सी) आदेश, दिनांक 14 जून, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (संयोजन की स्वीकृति, अन्तरा राज्य दीर्घकालीन तथा लघुकालीन खुली पँहुच तथा सम्बन्धित सामग्री) के अधीन संचारण में खुली पँहुच विनियम लागू करने सम्बन्धी अधिसूचना, विनियम, 2010 जारी किए गये हैं।
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग शुल्क तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारधण हेतु शर्तें) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (संचारण शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (स्टेट लोड डिस्पैच केन्द्र द्वारा लगाये जाने वाले प्रभार तथा शुल्क की वसूली) अधिनियम, 2011

आयोग द्वारा अभी तक अधिसूचित विनियम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

7. नागरिक प्रक्रिया कोड।
8. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (निधि निर्माण निधि प्रयोज्यता तथा बजट निर्माण के लिए फार्म तथा समय) नियम, 2007
9. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों स्थापना मामलों आदि के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी नियम, निर्देश/परिपत्र।

12.2 नियमावली तथा रिकार्ड आदि

उपरोक्त वर्णित नियमों तथा विनियमों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शका आदेश/धारणा–पत्र भी जारी किए गये हैं :–

1. लोड फोरकास्ट, संसाधन योजना तथा विद्युत प्रापण प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शन।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु निर्देश, 2005
3. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग खुली पँहुच प्रभार निर्धारण आदेश, 2008
4. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अन्तर राज्यीय ट्रेडिंग मार्जिन निर्धारण आदेश, 2008
5. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग ग्रिड इन्टर एक्टिव फोटो बोल्टिक तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं (एम एन आर ई दिशा निर्देशों के अधीन पात्र) के लिए शुल्क, 2009
6. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनयामक आयोग (खुली पँहुच प्रभार निर्धारण) आदेश, 2010
7. नामोदिष्ट राज्य एजेंसी अधिसूचना।
8. आर पी पी ओ अधिसूचना, कैप्टिव तथा खुली पँहुच वाले उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) उपयोगकर्ता (कर्ताओं) पर लागू।
9. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना की मान्यता हेतु शुल्क तथा प्रभार निर्धारण) आदेश, 2010
10. संयोजन, दीर्घ तथा मध्यम अवधि, अन्तर्राज्यीय खुली पँहुच की स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रक्रिया।

अध्याय–13

आबंटन तथा लाभान्वितों सहित उपदान कार्यक्रम

उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन इसके कार्यो की परिधि में नहीं आता।

अध्याय–14

रियायत प्राप्तकर्ता, प्रदान किए गये परमिट अथवा अनुज्ञप्ति

आयोग द्वारा वर्ष के दौरान ऐसी किसी प्रकार की रियासत, परमिट अथवा अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं की गई।

अध्याय–15

आयोग द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित सूचना का विवरण

आयोग द्वारा जारी किए गये सभी विनिमय/मार्गदर्शन सिद्धान्त तथा महत्त्वपूर्ण आदेश इलैक्ट्रोनिक माध्यम में रूपान्तरित किए गये हैं जो आयोग की वेबसाईट www.hpere.org पर उपलब्ध हैं।

अध्याय–16

पुस्तकालय अथवा वाचनालय, यदि उन्हें सार्वजनिक प्रयोग हेतु अनुरक्षित किया गया हो सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधा

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में जनसाधारण को विस्तृत सूचना तथा सुलभ पहुँच के उद्देश्य से अपनी वेबसाईट http:/hperc.org तैयार की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनिमय, (कार्य संचालन) 2005 के विनिमय 23 के अधीन आयोग की प्रत्येक कार्यवाही का रिकार्ड सम्बन्धित पक्षों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के निरीक्षण के लिए खुला है बशर्ते कि वे किसी भी समय कार्यवाही के दौरान अथवा आदेशों के पारित होने पर शुल्क अदा करने तथा आयोग द्वारा लगाई गई अन्य शर्तो का अनुपालन करें। उपरोक्त विनिमयों के विनिमय 24 के अधीन विहित प्रक्रिया अपनाने तथा निर्धारित शुल्क अदा करने पर आयोग के रिकार्ड की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। आयोग का पुस्तकालय सार्वजनिक प्रयोग हेतु खुला नहीं है।

अध्याय–17

जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 तथा 9 के अनुपालन में आयोग द्वारा अधिसूचित जनसूचना अधिकारियों का विवरणः

क्रं सं	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या कार्यालय / मोबाइल	आवास
1.	**अपीलीय प्राधिकारी**			
	श्री आर.पी.भारद्वाज 31.07.2012 तक	सचिव	0177–2621003 94184–62500	0177–2624249
	डॉ. मान सिंह 01.08. 2012 से 31.03.2013 तक		0177–2621003 94180–03256	
2	**जनसूचना अधिकारी**			
	श्री चन्द्र शर्मा 16.06. 2012 तक	कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी	0177–2627263	0177–2656114
	श्री एस.एल भारद्वाज 17.06.2012 से 31.03. 2013 तक		0177–2627263	
3	**सहायक जन सूचना अधिकारी**			
	श्रीमती रमा महाजन	वरिष्ठ सहायक	0177–2627263	680599588

अध्याय –18

आयोग के नियंत्रण अथवा उसके द्वारा धारित दस्तावेजों के वर्ग

आयोग के पास जो दस्तावेज हैं वे मुख्य रूप से निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :–

i. आयोग की परिधि में सौंपे गये मामलों के सम्बन्ध में विभिन्न एजेंसियों तथा उनके उपभोक्ताओ द्वारा दायर की गई याचिकाएं तथा उन पर जारी किए गये आदेश।

ii. ऐसे मामले जिनके सम्बन्ध में आयोग द्वारा राज्य सरकार को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उप–धारा 2 के अधीन कानूनी परामर्श दिया गया हो।

iii. विभिन्न विनियमों को अन्तिक रूप दिए जाने सम्बन्धी दस्तावेज तथा एतद् सम्बन्धी संशोधन।

iv. अधिनियम की धारा 128 के अधीन मामलों के सम्बन्ध में की गई जांच।

v. आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन, संचारण, थोक तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न अध्ययन, विनियम बनाने, कानूनी तथा तकनीकी सहायता आदि के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति सम्बन्धी पत्राचार।

vi. बिल, वाऊचर, भुगतान रसीद तथा सम्बन्धित अन्य दस्तावेज।

vii. वार्षिक लेखा तथा वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की प्रतियां।

viii. लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण रिपोर्ट।

ix. कैश बुक, बही खाता आदि।

x. कर्मचारियों के निजी रिकार्ड तथा सेवा पंजियां।

आयोग के कर्मचारियों की दूरभाष निर्देशिका

क्रं सं	नाम	पदनाम	दूरभाष नं०/ एक्सटैंशन	आवास दुरभाष संख्या
1.	श्री सुभाष चन्द्र नेगी	अध्यक्ष	2627262	2621006
2.	श्री आर. पी. भारद्वाज	सचिव	2621003	2624249
3.	श्री आर. एस. जाल्टा	कार्यकारी निदेशक (टी.ए.)	2627978	2670596
4.	श्री एस. के. जोशी	कार्यकारी निदेशक (टी.एफ ए.)	2627983	2625501
5.	श्री तुषार गुप्ता	निदेशक (टी.इ.)	Extn.-305	9418079306
	श्री लुकेश ठाकुर	निदेशक शुल्क (टी. इको.)	Extn.-306	9418125092
6.	श्री जे. एस. रेटका	कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी	Extn.-318	2674033
7.	श्रीमती नीता गौतम	उप निदेशक	Extn.-319	2624618
8.	श्री अजय चड्डा	उप निदेशक	Extn.-353	2657452
9.	श्री राजीव सिंधु	उप निदेशक	Extn.-320	2811797
10.	श्री चन्द्र वर्मा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	Extn.-315	2656114
11.	श्री विपिन शर्मा	रीडर	Extn.-233	9418001088
12.	श्री मुनीश शर्मा	विधि अधिकारी	Extn.-233	9418008809
13.	श्री मोहिन्द्र सिंह	निजी सचिव	2621003	9418946825

14.	श्री सतीश घारू	निजी सहायक	2627978	2623477
15.	श्री अजय कौशिक	अतिरिक्त निजी सचिव	2627263	2805744
16.	श्री बी.एस.कंवर	निजी सहायक	2627262	9418069569
17.	श्री सुशील कश्यप	अधीक्षक ग्रेड–II	Extn.-316	2842381
18.	श्रीमती रमा महाजन	वरिष्ठ सहायक	Extn.-309	2674858
19.	श्री कमल दिलैक	वरिष्ठ सहायक	Extn.-311	9418029280
20.	श्री राज कुमार	रिकार्ड कीपर	Extn.-321	9418376263
21.	श्रीमती रेनु वत्स	जुनियर स्केल स्टैनोग्राफर	Extn.-403	9816398893
22.	श्री दिनेश चौहान	लिपिक	Extn.-317	9418462400
23.	श्री जगत राम	लिपिक	Extn.-341	2627263
24.	श्री ओम प्रकाश	चालक		28388248
25.	श्री सैन राम	चालक		9816041592
26.	श्री रूम सिंह	चालक		9816002465
27.	श्री राजकुमार	चालक		9418053363
28.	श्री मनमोहन	सेवादार		2624013
29.	श्री किशोरी लाल	सेवादार		9418559157
30.	श्री मेद राम	सेवादार		9857052601

अनुच्छेद–II

आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन

क्रं सं	नाम	कुल मासिक वेतन
1.	श्री सुभाष चन्द्र, नेगी, अध्यक्ष	98,625–00
2.	डॉ मान सिंह, सचिव	0
3.	श्री आर.पी. भारद्वाज, सचिव	85,563–00
4.	श्री बी. एम. सूद, कार्यकारी निदेशक, (टी.एफ.ए.)	1,24,585–00
5.	श्री एस. के. जोशी कार्यकारी निदेशक (टी. एफ.ए.)	1,17,986–00
6.	श्री तुषार गुप्ता निदेशक (टी.इ.)	70,937–00
7.	श्री लुकेश कुमार निदेशक (टी. ई.)	71,141–00
8.	श्री राजीव सिंधु उप निदेशक	68,842–00
9.	श्री अजय चड्डा उप निदेशक	59,732–00
10.	श्री पंकज शर्मा उप निदेशक	67,993–00
11.	श्री चन्द्र वर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	40,791–00
12.	श्री एस. एल भारद्वाज, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	40,343–00
13.	श्री मुनीश शर्मा, विधि अधिकारी	31,773–00
14.	श्री मोहिन्द्र ठाकुर, निजी सहायक/निजी सचिव	59,324–00
15.	श्री सतीश के. घारू, निजी सहायक	53,989–00
16.	श्री अजय कौशिक, निजी सहायक/अतिरिक्त निजी सचिव	54,266–00
17.	श्री सुशील कश्यप, अधीक्षक ग्रेड–II	54,847–00
18.	श्रीमती रमा महाजन, वरिष्ठ सहायक	37,299–00
19.	श्री कमल दिलैक, वरिष्ठ सहायक	35,699–00
20.	श्री बी. एस. कंवर, निजी सहायक	40,476–00
21.	श्री राज कुमार शर्मा, रिकार्ड कीपर	49,320–00

22.	श्रीमती रेनु वत्स, वरिष्ठ वेतनमान आशुटंकक	37,693—00
23.	श्री दिनेश चौहान, लिपिक	24,745—00
24.	श्री जगत राम, लिपिक	25,925—00
25.	श्री ओम प्रकाश, चालक	42,309—00
26.	श्री रूम सिंह, चालक	25,885—00
27.	श्री सैन राम, चालक	37,597—00
28.	श्री राज कुमार,चालक	21,550—00
29.	श्री मनमोहन लाल, सेवादार	25,442—00

अनुच्छेद–III

01–04–2012 से 31–03–2013 तक कर्मचारी वर्ग का विवरण

क्रं सं	नाम तथा पदनाम	कार्य ग्रहण करने की तिथि	नियुक्ति की विधि
1.	श्री सुभाष चन्द्र नेगी (अध्यक्ष)	01–02–2011	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त
2.	श्री आर. पी. भारद्वाज सचिव (हि०प्र०से०)	09-02-2011 से 31-07-2012	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त
3.	डॉ० मान सिंह, सचिव (हि०प्र०से०)	21.08.2012	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त
4.	श्री एस. के. जोशी, कार्यकारी निदेशक, (टी.एफ.ए.)	03.02.2011	सेकेंडमेन्ट आधार पर
5.	श्री बी. एम. सूद, कार्यकारी निदेशक, (टी. .ए.)	06.06.2012	सेकेंडमेन्ट आधार पर
6.	श्री तुषार गुप्ता, निदेशक (टी. ई.)	01.10.2010	सेकेंडमेन्ट आधार पर
7.	श्री लुकेश कुमार, निदेशक (टी. इ.)	26.12.2011 से 04.07.2013	सेकेंडमेन्ट आधार पर
8.	श्री पंकज शर्मा, उप निदेशक	01.08.2012	सेकेंडमेन्ट आधार पर
9.	श्रीमती रिंकू गौतम, उप निदेशक (टी. ई.)	31.05.2013	स्थाई
10.	श्री राजीव सिंधू, उप निदेशक	19.09.2007 से 30.04.2012	सेकेंडमेन्ट आधार पर
11.	श्री अजय चड्डा, उप निदेशक (टी. ए.)	01.09.2007 से (23.12.2010 को अर्न्तलयित)	स्थाई
12.	श्री जे. एस. रेटका, (पी.ए.ओ.)	17.11.2000 से 06.07.2010	स्थाई तथा एच. ई. आर सी./एच. पी. टी. सी एल में सेकेंडमेन्ट पर
13.	श्री चन्द्र वर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	04.02.2008 से 16.06.2012	हिमाचल प्रदेश सरकार से
14.	श्री एस. एल. भारद्वाज वरिष्ठ लेखा अधिकारी	04.10.2012	हिमाचल प्रदेश सरकार से
15.	श्री मुनीश शर्मा, विधि अधिकारी	31.10.2011 से	सेकेंडमेन्ट आधार पर

		01.04.2013	
16.	श्री सतीश कुमार आर्य	01.07.2013	सेकेंडमेन्ट आधार पर
17.	श्री मोहिन्द्र सिंह ठाकुर ए. पी. एस.	22.02.2001	सेकेंडमेन्ट आधार पर
18.	श्री सुशील कश्यप अधीक्षक ग्रेड–2	13.02.2009	स्थाई
19.	श्री सतीश घारू, निजी सहायक	19.11.2004	स्थाई
20.	श्री अजय कौशिक, ए. पी. एस.	14.02.2007	सेकेंडमेन्ट आधार पर
21.	श्रीमती रमा महाजन, वरिष्ठ सहायक	30.10.2004	स्थाई
22.	श्री कमल दिलैक, वरिष्ठ सहायक	30.10.2004	स्थाई
23.	श्री बी. एस कंवर, निजी सहायक	30.10.2004 से 20.08.2009)	स्थाई
24.	श्री राज कुमार, रिकोर्ड कीपर	15.11.2007	स्थाई
25.	श्रीमती रिनू वस्ट, कनिष्ठ वेतन मान आशुलिपिक	01.10.2008 (18.07. 2013 से अर्न्तलयित)	स्थाई
26.	श्री दिनेश चौहान, लिपिक	01.08.2008 18.07.2013 से अर्न्तलयित)	
27.	श्री जगत राम, लिपिक	13.10.2006	सेकेंडमेन्ट आधार पर
28.	श्री ओम प्रकाश, चालक	12.01.2001 से 31.05.2013	सेकेंडमेन्ट आधार पर
29.	श्री रूम सिंह, चालक	01.06.2007 (14.07.2009 से अर्न्तलयित)	स्थाई
30.	श्री सैन राम, चालक	03.05.2008 से 31.12.2012	सेकेंडमेन्ट आधार पर
31.	श्री राज कुमार, चालक	06.04.2009 28.09.2013 से अर्न्तलयित)	स्थाई
32.	श्री मनमोहन लाल, बिल वितरक	08.05.2002	सेकेंडमेन्ट आधार पर

अनुच्छेद–IV

आयोग की राज्य परामर्श–समिति के सदस्य

क्रं सं	नाम पदनाम तथा पता	समिति में पदनाम
1.	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला–171002.	पदेन अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव,(एम पी पी एण्ड पावर) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला 171002	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला 171002	सदस्य
4.	सचिव, ब्यूरो ऑफ एर्नेज़ी एफिशैन्सी चतुर्थ तल सेवा भवन, आर के पूरम, नई दिल्ली–110006	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ब्लाक न० 14 सी. जी. कम्पलैक्स लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	सदस्य
6.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड विद्युत भवन शिमला–4	सदस्य
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हिमफेड ब्लिडिंग, न्यू शिमला–171009.	सदस्य
8.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रेंडिग कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, द्वितीय तल एन बी सी सी टॉवर, 15 भिखाजी, कैम्पा प्लेस, नई दिल्ली, 110066.	सदस्य
9.	विभागाध्यक्ष (विद्युत इंजीनियरिंगद्ध राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि० प्र०।	सदस्य
10.	निदेशक (संचालन) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, विद्युत भवन, शिमला–4	सदस्य
11.	निदेशक, ऊर्जा निदेशालय फेस–3 सैक्टर–5 शान्ति भवन, न्यू शिमला–171009.	सदस्य

12.	निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन शिमला–171005	सदस्य
13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिम ऊर्जा, एस. डी. ए. कम्पलैक्स कसुम्पटी शिमला–171009	सदस्य
14.	श्री राजेश कुमार मेंहदीरत्ता उप–प्रधान, इंडिया एनेर्जी एक्सचैंज लिमिटेड, 401, चतुर्थ तल बोस्टन हॉऊस, सुरेन रोड़, अन्धेरी (पूर्वद्ध मुम्बई, 400093.	सदस्य
15.	श्री पी. एन. भारद्वाज, आर्केडिया, पो. आ. धर्मपुर, जिला सोलन (हि०प्र०) 173209	सदस्य
16.	प्रधान, शिमला होटल एण्ड रैस्टुरेन्ट एसोसिएशन द्वारा होटल शिवालिक, रिज़, शिमला (हि०प्र०)	सदस्य
17.	प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड हिमफैड भवन, बिलो ओल्ड एम. एल. ए. क्वार्टरज़, पंजड़ी, शिमला–171005.	सदस्य
18.	प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पॉवर संचारण निगम, बोरोवालिया हॉऊस, खलीनी, शिमला, 171002 (हि०प्र०)	सदस्य
19.	अध्यक्ष सी आई आई, हिमाचल कौंसिल, सैक्टर 31–ए, चण्डीगढ़–160030.	सदस्य
20.	अध्यक्ष, हिमाचल समिति, पी एच डी सी सी आई, कमरा न०205, उद्योग भवन, शिमला–1	सदस्य
21.	कन्विनर हिमाचल प्रदेश, लघु जल विद्युत एसोसिएशन बी–99 सैक्टर–3 न्यू शिमला–171009 (हि०प्र०)	सदस्य

****